तहफ्फुज़-ए अक़ाइद व माअमुलाते अहले सुन्नत

تحفّظِ عقائد و معمولاتِ اہلِ سُنّت

मुरत्तिब

हज़रत अल्लामा
मौलाना हाफिज़ व क़ारी **मुफ्ती हसन रज़ा मरकज़ी**
(दारूल इफ्ता इमामे आज़म अबु हनीफा मेड़ता सिटी)

नाशिर : **जमाअत रज़ा ए मुस्तफा**, जोधपुर (राजस्थान)

तहफ्फुज़-ए अक़ाइद व माअमुलाते अहले सुन्नत

تحفّظِ عقائدِ و معمُولاتِ اہلِ سُنّت

नाम किताब	:	तहफ्फुज़-ए-अक़ाइद व माअमुलाते अहले सुन्नत
तास्सुरात	:	मिस्बाहुल फुक़हा, मोअतमदे हुज़ूर मुहद्दिसे कबीर, हज़रत अल्लामा मुफ्ती आलमगीर साहब मिस्बाही अमजदी मदाज़िल्लाहुल आली
तरतीब	:	असीरे हुज़ूर ताजुश्शरिआ, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी मुफ्ती मुहम्मद हसन रज़ा मरकज़ी साहब
नज़रे सानी	:	हज़रत मौलाना मेहरुद्दीन साहब क़ादरी अशफाक़ी
हस्बे फरमाइश	:	अराकीन जमाअत रज़ा ए मुस्तफा शाखः जोधपुर
इशाअत	:	1447 हि. - 2025 ई.
नाशिर	:	जमाअत रज़ा ए मुस्तफा शाखः जोधपुर 96800-77092, 89497-33665 98280-78669
कम्पोजिंग	:	अब्दुल क़ादिर रज़वी : 80001-39922

अगर बशरी कमज़ोरी के बाइस किसी मुक़ाम पर कोई बात क़ाबिल-ए-इस्लाह महसूस हो तो मुत्तला फ़रमाने की ज़हमत करें ताकि आइन्दा एडिशन में उसकी दरुस्ती कर दी जाये।

शरफ़-ए-इन्तेसाब

यह नाचीज़ अपनी इस अदना इल्मी कोशिश को बारगाह-ए-मुक़द्दस में:

- सय्यिद-उल-कायनात, रहमतुल लिल आलमीन, ताजदारे मदीना, हुज़ूर सय्यिदुना व मौलाना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा ﷺ
- जुम्ला आल-ए-नबी औलाद-ए-अली व अहले बैत-ए-मुस्तफ़ा ﷺ
- अस्हाब-ए-रसूले मक़बूल ﷺ, बिलख़ुसूस ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन-ए-अबआ رضی اللہ تعالیٰ عنہم

  वो दसों जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला

  उस मुबारक जमाअत पर लाखों सलाम
- पंजतन-ए-पाक علیہم الرضوان

  لخمسةٍ أُطفي بها حرَّ الوباءِ الحاطِمة

  المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطِمة
- सय्यिदुश्शोहदा, शेरे ख़ुदा, हज़रत सय्यिदुना अमीर हमज़ा رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- सय्यिदा तय्यिबा ताहिरा, आलिमा ज़ाहिदा, हज़रत बीबी नफ़ीसा رضی اللہ تعالیٰ عنہا
- जुम्ला अकाबिरीन-ए-उम्मत, अइम्मा-ए-अहले सुन्नत व औलिया-ए-कामिलीन علیہم الرحمہ
- इमामुल-अइम्मा, सिराजुल-उम्मा, इमाम-ए-आज़म अबू हनीफ़ा, सय्यिदुना नोअमान बिन साबित رضی اللہ تعالیٰ عنہ

- क़ुत्ब-ए-रब्बानी, ग़ौस-ए-समदानी, मुहिय्युद्दीन हज़रत सय्यिदुना शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी बग़दादी رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- ख़्वाजा-ए-ख़्वाजगान, सुलतान-उल-हिन्द, ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- वली-ए-कामिल, आरिफ़-बिल्लाह, क़ुत्ब मेड़ता, हज़रत हाफ़िज़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ क़ादरी علیہ الرحمہ
- मुज्जद्दिद-ए-दीन व मिल्लत, इमाम-ए-अहले सुन्नत, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाज़िले बरेलवी قدس سرہٗ
- हुज़ूर ताजुश्शरीअह, नाशिर-ए-मसलक-ए-आला हज़रत, जानशीने मुफ़्ती-ए-आज़म-ए-हिन्द, हज़रत अल्लामा मुफ़्ती मुहम्मद अख़्तर रज़ा ख़ान अज़हरी قدس سرہٗ
- आलिमे रब्बानी, फ़क़ीहे अहले सुन्नत, बाबा ए क़ौम व मिल्लत, हज़रत मुफ़्ती अश्फ़ाक़ हुसैन नईमी علیہ الرحمہ
- मुजाहिद-ए-अहले सुन्नत, हज़रत क़ाज़ी मुहम्मद क़ासिम साहिब मेड़ता सिटी علیہ الرحمہ

और जुम्ला मोमिनीन व मोमिनात, जिन्होंने दीन-ए-मुस्तफ़ा ﷺ की सरबुलन्दी और इआला-ए-कलिमतुल हक़ के लिये अपनी ज़िन्दगानियाँ वक़्फ़ कीं।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

حامداً و مصلیا و مسلما

तास्सुर

जमाअत रज़ा ए मुस्तफा इमामे अहले सुन्नत मुजद्दिदे आज़म सय्यिदुना हुज़ूर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिसे बरेलवी عليه الرحمة والرضوان की क़ायम कर्दा तन्ज़ीम है इसी की एक शाख शहरे जोधपुर में भी हुज़ूर क़ाइदे मिल्लत, हज़रत अल्लामा अलहाज अश्शाह मुफ्ती मुहम्मद असजद रज़ा खान साहब क़िब्ला (क़ाजी उल क़ुज़्ज़ात फिल हिन्द – बरेली शरीफ) की सरपरस्ती में क़ायम है जो अपनी बिसात के मुताबिक़ जोधपुर और उसके मुजाफ़ात में दीन व सुन्नियत व मसलके आला हज़रत की तरवीज व इशाअत का फरीज़ा बहुस्न व ख़ूबी अन्जाम दे रही है।

بحمدہ تعالیٰ وبکرم حبیبہ الاعلیٰ علیہ التحیہ والثناء

तन्ज़ीम जमाअत रज़ा ए मुस्तफा शाख़ जोधपुर ने शहरे जोधपुर के मुख़्तलिफ महल्लात में मकातिब-ए-अहले सुन्नत को क़ायम किया और बाज़ाब्ता ताअलीम दी जा रही है, इसी ताअलीम की एक कड़ी "ज़ियारते हरमैन शरीफैन इस्लामी माअलुमाती मुक़ाबला" भी है, मुक़ाबला करवाने के लिए एक किताब बनाम "तहफ्फुज़-ए-अक़ाइद व माअमुलाते अहले सुन्नत" की तरतीब भी माअरिज़े वुजूद में आई है जिसके मुरत्तिब अज़ीज़े गिरामी मरतबत हज़रत मौलाना हाफिज़ व क़ारी मुहम्मद हसन रज़ा मरकज़ी زید مجدہ السامی है। जिस किताब को हर्फन हर्फन फक़ीरे रिज़वी ने मुहिब्बे गिरामी मरतबत हज़रत मौलाना मुहम्मद मेहरुद्दीन क़ादरी अशफाक़ी से सुना जो अक़ाइदे अहले सुन्नत व

माअमुलाते अहले सुन्नत पर मुश्तमिल है। यक़ीनन किताबे मज़कूर अपनी सेहते मज़ामीन की बिना पर हर क़ारी को दावते नज़्ज़ारा दे रही है।

मौला عزوجل की बारगाहे क़ुद्स में दुआ है कि जमाअत रज़ा ए मुस्तफा की शाख़ जोधपुर और इसके अरकान व मुआविनीन को मज़ीद तरक्की अ़ता फरमाए और इन अरकान व मुआविनीन की.खिदमात को अपनी बारगाह में शर्फे क़ुबूलियत से नवाज़ कर दारैन की सआदतों से हमकिनार व सरफराज़ व मालामाल फरमाए।

آمین ثم آمین بجاہ حبیبہ سید المرسلین علیہ وآلہ واصحابہ افضل الصلوات وازکی التحیات

इस किताब में कोई हदीस ऐसी हुई जो मौज़ु हो या कोई मसला शरीअत के.खिलाफ हुआ तो हम उससे रुजुअ करते है।

सगे बारगाहे आला हज़रत व ताजुश्शरिआ
मुहम्मद आलमगीर रज़वी अमजदी मिस्बाही उफिया अन्हु
नायब मुफ्ती दारूल इफ्ता दारूल उलूम इस्हाक़िया जोधपुर
23 रबीउल अव्वल शरीफ 1447

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حامداً و مصلياً و مسلماً، اما بعد

अर्ज़े मुरत्तिब

उम्मते मुस्लिमा का हाल

आज उम्मते मुस्लिमा मुख़्तलिफ़ फ़िरक़ों में बंटी हुई है। अक़ाइद व मामूलात के हवाले से इन फ़िरक़ों में शदीद इख़्तिलाफ़ पाया जाता है। जो फ़िरक़े इस्लामी उसूल व ज़वाबित के मुताबिक़ हैं वही कामयाब और नजात-दहिन्दा हैं, जबकि जो फ़िरक़े इन उसूलों के ख़िलाफ़ हैं वो ख़ुद भी गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराही में मुबतला करते हैं।

- नबी करीम ﷺ की पेशनगोई :

अहादीस-ए-मुबारका में इस इख़्तिलाफ़ और इफ्तिराक़ की पेशनगोई पहले ही फ़रमा दी गई थी।

- हदीस-ए-मुबारका :

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ تعالیٰ عنہ से रिवायत है: रसूलल्लाह ﷺ ने फरमाया : "मेरी उम्मत उन सब बातों में मुबतला होगी जिनमें बनी इसराईल मुबतला हुए थे, यहाँ तक कि अगर उनमें से कोई अपनी माँ के साथ ऐलानिया बदकारी करता तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा करेगा। बनी इसराईल 72 फ़िरक़ों में तक़सीम हो गये थे और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तक़सीम हो जायेगी। इनमें से एक के सिवा सब जहन्नम में होंगे। सहाबा-ए-किराम ने अर्ज़ किया: या रसूलल्लाह! वो एक कौन होगा? आप ﷺ ने फ़रमाया: जो उस रास्ते पर होंगे जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं।" (सुनन तिरमिज़ी)

हदीस की वज़ाहत

यहाँ इख़्तिलाफ़ से मुराद फ़ुरूई मसाइल का इख़्तिलाफ़ नहीं है, क्योंकि अइम्मा मुजतहिदीन के दरमियान जो इख़्तिलाफ़ मिलता है वो दलाइल और शरई उसूलों पर मबनी है और वो उम्मत के लिये रहमत है। बल्कि ये फ़िरक़े ऐसे होंगे जो ख़्वाहिशात-ए-नफ़्स और बे-दलीली की बुनियाद पर रास्ते अलग करेंगे, इसलिये वो उम्मत के लिये ज़हमत हैं, रहमत नहीं।

किताब का मक़सद

ज़ेर-ए-नज़र किताब "तहफ़्फ़ुज़-ए-अक़ाइद व मामूलाते अहले सुन्नत" इन्हीं बातिल फ़िरक़ों की हक़ीक़त को आश्कार करने के लिये मुरत्तब की गई है।

इन बातिल फ़िरक़ों ने अपने शैख़-ए-नजदी की पैरवी में:

ज़ाती और अताई	हक़ीक़ी और मज़ाज़ी
क़रीब और बईद	ज़िन्दा और फ़ौत-शुदा

के माबैन फ़र्क़ को मिटा दिया। फिर बुतों के बारे में नाज़िल होने वाली आयात को अंबिया व औलिया पर मुन्तबिक़ किया और उनके मानने वालों को काफ़िर व मुशरिक क़रार दिया।

जबकि नबी करीम ﷺ ने इरशाद फ़रमाया :
"मेरी उम्मत शिर्क पर जमा नहीं होगी।"

और एक और हदीस में फ़रमाया :

"जो किसी मुसलमान को काफ़िर कहे, और हक़ीक़त में वो काफ़िर न हो, तो कुफ़्र उसी कहने वाले की तरफ़ पलट जायेगा।"

यूँ ये फ़िरक़े अपने ही फतवों की ज़द में आकर ईमान से महरूम होने का ख़तरा मोल ले बैठे।

गुज़ारिश :

मोहतरम क़ारिईन से गुज़ारिश है कि इस किताब को बग़ौर पढ़ें और समझें। इंशाअल्लाह यह निहायत मुफ़ीद और बसीरत-अफ़रोज़ साबित होगी।

فقیر محمد حسن رضا مرکزی غفرلہ ربہ القوی

असीरे हुज़ूर ताजुश्शरिआ

फक़ीर मुहम्मद हसन रज़ा मरकज़ी ग़ुफिरा लहु

दारूल इफ्ता इमामे आज़म अबु हनीफा, मेड़ता सिटी

24 रबीउल अव्वल शरीफ 1447

फेहरिस्त (INDEX)

ईमान का बयान

ईमान की ताअरीफ़ : वोह तमाम चीज़ें जो हुज़ूर नबी-ए-करीम ﷺ अल्लाह तआला की तरफ से लेकर तशरीफ लाये, उन सब बातों की सच्चे दिल से तसदीक़ करना और ज़ुबान से इक़रार करना, यूं समझिए कि तमाम ज़रूरियाते दीन दिल से मानना और ज़ुबान से इक़रार करना और ईमान लाना, उसे हक़ जानना ईमान कहलाता है। और जो इन बातों को माने हक़ जाने अमल करे मोमिन कहलाता है।

✦ ज़रूरियाते दीन

ज़रूरियाते दीन वोह अहकाम व मसाइल हैं जो क़ुरआने करीम या अहादीसे मुतवातिरा या इज्माअ़ से इस तरह साबित हों कि इनमें किसी तरह शक व शुबह की गुंजाइश ना हो। जैसे अल्लाह عزوجل की वहदानियत, अंबिया ए किराम की नबुव्वत, जन्नत व जहन्नम, हशर व नशर वगेरह के अलावा नमाज़, रोज़ा, हज और ज़कात वग़ेरह का फर्ज़ होना और चोरी, ज़िना वग़ेरह का हराम होना ये सब ज़रूरियाते दीन कहलाते हैं। (शरहुल अक़ाइद)

✦ ज़रूरियाते दीन का शुमार :

ज़रूरियाते दीन वैसे तो बहुत सारे हैं, इनमें से कुछ अक़ाइद से मुतअल्लिक़ हैं और कुछ आमाल से मुतअल्लिक़।

हम यहां उनमें से चंद ज़रूरियाते दीन को बयान करेंगे ताकि मालूम हो सके कि हमें किन बातों पर ईमान रखना फर्ज़ व लाज़िम है।

अक़ाइद से मुतअल्लिक़ ज़रूरियाते दीन :

- ❖ अल्लाह तआला एक है, उसकी ज़ात व सिफात, अफआल, अहकाम और असमा में कोई शरीक नहीं।
- ❖ हर ऐब और हर नक़्स हूदूस ए तग्य्युर (तग्य्युर व फना) से मुनज़्ज़ा है।
- ❖ इबादत के लायक़ सिर्फ अल्लाह तआला ही है, उसके सिवा कोई लाइक़े इबादत नहीं।
- ❖ वोह सब मखलूक़ात का खालिक़ है, बेमिस्ल व बेनज़ीर है।
- ❖ वोह बाप, बेटा होने और बीवी से पाक है।
- ❖ इज़्ज़त व ज़िल्लत देने वाला वही है।
- ❖ क़दीम, अज़ली व अबदी है यानि हमेशा से है और हमेशा रहेगा।
- ❖ हय्य, क़य्यूम, आलिम, क़ादिर, मुरीद, समीअ, बसीर और मुतकल्लिम है।
- ❖ उसकी नाज़िल कर्दा तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाना।
- ❖ उसके सब रसूलों और सब फरिश्तों पर ईमान लाना।
- ❖ क़यामत के दिन मुर्दों का ज़िन्दा होना, हिसाब व किताब का हक़ होना, हशर व नशर, जज़ा व सज़ा पर ईमान लाना।
- ❖ जन्नत व जहन्नम को हक़ जानना।
- ❖ अल्लाह बेनियाज़ हैं, किसी का मोहताज नहीं, सब उसी के मोहताज हैं।
- ❖ अल्लाह की ज़ात व सिफात क़दीम, अज़ली अबदी है, उसके लिए कोई इन्तेहा नहीं और ना कोई उसका इहाता कर सकता है।
- ❖ इल्मे इलाही ज़ाती है और कुल्लियात व जुज़ियात सब को मुहीत है।

❖ अल्लाह तआला ने अंबिया-ए-किराम, ख़ुसूसन नबी ए अकरम ﷺ को ग़ैब का इल्म अ़ता फरमाया, और नबी ﷺ का इल्म मख़लूक़ में सबसे ज़्यादा है और मुतनाही है।

❖ नबी ﷺ अल्लाह के रसूल और खातिमुन्न नबीय्यीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं।

❖ नबी ﷺ सब मख़लूक़ात से अफज़ल हैं।

❖ क़ुरआन मजीद कलामे इलाही है, मुकम्मल व महफ़ूज़ है, इसमें कोई कमी-बेशी नहीं।

❖ अंबिया-ए-किराम عليهم السلام सब इंसानों से अफज़ल है।

❖ नबी करीम ﷺ का मोअजिज़ा मेअराज (मस्जिदे हराम से बैत उल मुक़द्दस व आसमानों तक जाना) बरहक़ है।

❖ अंबिया-ए-किराम عليهم السلام को मोअजिज़ात अ़ता किए गए।

❖ नबी वली से अफज़ल है।

❖ मुसलमान को मुसलमान व काफ़िर को काफ़िर जानना।

बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसी को काफ़िर कहना जायज़ नहीं है इसलिए कि हो सकता है वो मोमिन हो जाए लेकिन ये बात ग़लत है इसलिए कि अगर इस बात को माना जाए तो फिर ये भी कहना चाहिए कि मोमिन को मोमिन न कहों कि हो सकता हैं कि वो काफ़िर हो जाए इसलिए हुक्मे शरीअत देखा जाए और वो ये है कि इंसान जिस औसाफ के साथ मुत्तसिफ हो उसे उसी वसफ से याद किया जाए अगर मोमिन है तो मोमिन कहा जायेगा और अगर काफ़िर है तो काफ़िर कहा जायेगा।

यहां तक हम ने उन ज़रूरियाते दीन को ज़िक्र किया है जो अक़ाइद से मुतअल्लिक़ थे, इनमें से अगर किसी एक बात का भी इन्कार किया तो काफ़िर हो जाएगा।

अब नीचे उन ज़रूरियाते दीन को ज़िक्र करेंगे जो आमाल से मुतअल्लिक़ है।

आमाल से मुतअल्लिक़ ज़रूरियाते दीन :

- ❖ जनाबत से गुस्ल और वुज़ू फ़र्ज़ होता है।
- ❖ पानी न मिलने पर तयम्मुम का हुक्म होगा।
- ❖ वुज़ू के नवाक़िज़ (पेशाब, पाखाना वग़ैरह) और गुस्ल के असबाब (जिमाअ, हैज़ वग़ैरह) पर ईमान लाना।
- ❖ पंजवक़्ता नमाज़ फ़र्ज़ है, अरकान (रुकूअ, सजदा) वाजिब है।
- ❖ जुमुआ की नमाज़ मख़सूस शराइत के साथ फर्ज़ है।
- ❖ ज़कात, रोज़ा-ए-रमज़ान और हज फ़र्ज़ है।
- ❖ ख़रीद व फ़रोख़्त, इजारा, हिबा, सदक़ा, वक़्फ़ वग़ैरह जायज़ है।
- ❖ विरासत में क़ुरआन के मुक़र्ररा हिस्से लागू है।
- ❖ निकाह जायज़ है, तलाक़ वाक़ेअ होती है।
- ❖ क़िसास व दियत का निफाज़ हक़ है।
- ❖ मुरतद को क़त्ल करना वाजिब, शादी-शुदा ज़ानी को रजम, ग़ैर शादी-शुदा को कोड़े, चोर के हाथ काटने का हुक्म हक़ है।
- ❖ जिहाद और जिज़िया का हुक्म बरहक़ है।
- ❖ हराम चीज़ें: बिला वुज़ू नमाज़, रोज़े की हालत में जिमाअ, सूद, ग़सब, रिशवत, मुहरिमात (वो औरतें जिनसे निकाह हमेशा हमेश के लिए हराम है) से निकाह, नाहक़ क़त्ल, ज़िना, लिवातत,

चोरी, शराबनोशी, जुआ, झूठी गवाही, ग़ीबत, चुग़ली, इज़ा-ए-मुस्लिम वग़ैरह।

- ❖ ग़ैर मुस्लिमों की मज़हबी तक़रीबात होली, दिवाली वागेरह में शिरकत हराम है।
- ❖ क़ुरबानी, सदक़ात व ख़ैरात, निकाह-ए-सानी, ग़ुलाम आज़ाद करना वग़ैरह सब हक़ है।
- ❖ दुरूद शरीफ, तिलावत-ए-क़ुरआन, खाना खिलाना नेक आमाल है।

कुछ और ज़रूरियाते दीन :

- ❖ ख़ाना ए काबा को ख़ाना ए ख़ुदा मानना।
- ❖ काबा, फरिश्ते या नबी की तोहीन कुफ़्र है।

✦ ज़रूरियाते मज़हबे अहले सुन्नत की ताअ़रीफ

ज़रूरियाते मज़हबे अहले सुन्नत वोह मसाइल हैं जो दलीले क़तई से साबित हों मगर इनमें तावील का एहतमाल हो, और इनका मज़हबे अहले सुन्नत व जमाअत से होना अवाम व खवास सबको मालूम हो इनका हक़ होना ज़ाहिर व बाहिर हो। मसलन अज़ाबे क़ब्र, आमाल का वज़न (मीज़ान), इसाले सवाब वग़ैरह।

ज़रूरियाते मज़हबे अहले सुन्नत व जमाअत के मुनकिर का हुक्म

इसका इनकार करने वाला काफ़िर नहीं होता अलबत्ता वोह गुमराह, बदमज़हब और बददीन कहलाता है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान عليه الرحمه फरमाते है: "ज़रूरियाते अक़ाइदे अहले सुन्नत,

इनका मुनकिर बदमज़हब व गुमराह है।” (फतावा रज़विया, जि.29, स.66)

ज़रूरियाते अहले सुन्नत व जमाअत का शुमार

यहाँ 20 ज़रूरियाते अहले सुन्नत ज़िक्र किये जा रहे है:

- खुलफा ए अरबआ رضی اللہ تعالیٰ عنہم की खिलाफत को हक़ मानना।
- हज़रत अबुबकर व उमर رضی اللہ تعالیٰ عنہما को तमाम सहाबा से अफज़ल मानना।
- हज़रत उस्मान व हज़रत अली رضی اللہ تعالیٰ عنہما से मुहब्बत रखना।
- तमाम सहाबा ए किराम और अहले बैत का अदब करना।
- इमाम हुसैन رضی اللہ تعالیٰ عنہ को करबला में बेकसूर और शहीद मानना, और यज़ीद को फासिक़ व फाजिर मानना।
- अज़ाबे क़ब्र और मुनकर नकीर के सवाल को हक़ मानना।
- आमाल के वज़न (मीज़ान) को बरहक़ जानना।
- हुज़ूर ﷺ की मेअराज को जिस्मानी व बेदारी में मानना।
- क़ुरआन को कलामे इलाही और ग़ैर मख़लूक़ मानना।
- तक़दीर के ख़ैर व शर पर ईमान रखना।
- अल्लाह तआला को जिस्म, सिम्त और मकान से पाक मानना।
- आखिरत में मोमिनीन के लिए दीदारे बारी तआला को बरहक़ मानना।
- बन्दों के अफआल को अल्लाह की मख़लूक़ मानना।
- हयात उल अंबिया (अंबिया-ए-किराम علیہم السلام का वफात के बाद भी ज़िन्दा होने) को बरहक़ मानना।

- करामाते औलिया को बरहक़ जानना।
- येह मानना कि अल्लाह तआला ने नबी करीम ﷺ को गुयूबे खमसा (क़यामत का वक़्त, बारिश का नाज़िल होना, शिकमे मादर में क्या है, कल क्या कमाएगा, मौत का मुक़ाम) का इल्म अ़ता फरमाया।
- अहले कबाइर (बड़े गुनाह करने वालों) के लिए हुज़ूर ﷺ की शफाअत को बरहक़ मानना।
- तक़लीदे शख़्सी के वुजूब को मानना।
- हर मुसलमान इमाम जो लाइक़ ए इमामत हो उसके पीछे नमाज़ दुरूस्त मानना।
- हमेशा जमाअत (सवादे आज़म) के साथ रहना और ख़ुरूज व शुज़ूज़ से बचना।

✦ कुफ़्र का बयान ✦

कुफ़्र की ताअरीफ़

ज़रुरियाते दीन जो कि ईमान के बयान में ज़िक्र हुए में से किसी एक बात का भी इन्कार करना या उनमें अदना शक करना या बातिल तावीलात करना कुफ़्र है। फतावा रज़विया में है: मुसलमानों! मसाइल तीन क़िस्म के होते हैं: एक ज़रुरियाते दीन, उनका मुन्किर (इन्कार करने वाला) बल्कि उनमे अदना शक करने वाला बिलयक़ीन काफ़िर होता है, ऐसा कि जो उसके कुफ़्र में शक करे वोह भी काफ़िर है। (जि. 29, स. 66)

✦ काफ़िर के अक़साम (Catagories)

काफ़िर की दो क़िस्मे हैं:

1. काफ़िर-ए-असली।
2. काफ़िर-ए-मुरतद

काफ़िर-ए-असली : वोह शख़्स जो शुरू ही से मुसलमान न हों और कलमा ए इस्लाम का इन्कार करे।

काफ़िर-ए-असली की दो क़िस्में हैं:

1. **मुजाहिर :** जो खुल्लम खुल्ला कल्मा का इन्कार करे।
2. **मुनाफिक़ :** जो ज़ाहिरी तौर पर कल्मा पढ़ता है लेकिन दिल में इन्कार करता है।

नोट : आखिरत में सबसे सख़्त अज़ाब काफ़िर-ए-मुनाफिक़ को होगा।

काफ़िर-ए-मुजाहिर की 4 क़िस्मे हैं:

1. **देहरिया :** जो अल्लाह तआला के वजूद का इन्कार करे।

2. **मुशरिक :** जो अल्लाह के साथ किसी और को माबूद या वाजिबुल वजूद माने जैसे हिन्दु बुतपरस्त बुतों को माबूद मानते है।

3. **मजूसी :** आग को पूजने वाला।

4. **अहले किताब :** यहूद व नसारा (जो क़ुरआन व रिसालते मुहम्मदी ﷺ पर ईमान न रखे)

हुक्म-ए-शरअ : देहरिया, मुशरिक और मजूसी का ज़बीहा हराम और मुरदार है और इनकी औरतों से निकाह नाजायज़ और हराम है।

इस वक़्त दुनिया में तक़रीबन अहले किताब नहीं रह गए है, अगर कोई अहले किताब हो भी तो उससे निकाह गोया कि दुरुस्त है मगर बेहतर नहीं

काफ़िर-ए-मुरतद की ताअ़रीफ

काफ़िर-ए-मुरतद वोह शख़्स है जो कलमागोह (मुसलमान) होने के बाद कुफ़्र करे।

काफ़िर-ए-मुरतद की दो क़िस्में हैं :

1. मुरतद-ए-मुजाहिर
2. मुरतद-ए-मुनाफिक़

मुरतद-ए-मुजाहिर : वोह मुसलमान जो ऐलानिया इस्लाम से फिर जाएं, कलिमे का मुनकिर हो जाए।

मुरतद-ए-मुनाफिक़ : वोह शख़्स जो बज़ाहिर मुसलमान कहलाता है, कल्मा पढ़ता है, लेकिन दर हक़ीक़त अल्लाह या उसके रसूल ﷺ की तौहीन करता है या ज़रूरियाते दीन में से किसी बात का

इन्कार करता है। मसलन आज कल के वहाबी, देवबन्दी, राफ़ज़ी, क़ादियानी, नेचरी, चकड़ालवी वगेरहुम।

मुरतद का हुक्म

मुरतद सबसे बदतर काफ़िर है। उसका निकाह किसी मुसलमान या ग़ैर मुस्लिम से नहीं हो सकता, अगर करेगा तो वो सिर्फ ज़िना होगा। लिहाज़ा जो कोई वहाबी, देवबन्दी, राफ़ज़ी, क़ादियानी, नेचरी, चकड़ालवी से निकाह करता कराता है वो निकाह मुनअक़िद ही नहीं होता बल्कि महज़ ज़िना और बदकारी होती है चूंकि ये सब ज़रूरियाते दीन के इन्कार और अपने अक़ाइद-ए-कुफरिया कतईया की बिना पर काफ़िर व मुरतद है, इनसे दूर व नफूर रहे, किसी तरह का उनसे कोई ताल्लुक न रखे कि अहादीस में ऐसो के साथ ताल्लुक क़ायम करने वालों पर सख़्त वईद आई है।

गुमराह, बदमज़हब की सोहबत में बैठना क़ुरआन की रोशनी में

क़ुरआन-ए-करीम ने जगह जगह ऐसी गुमराह जमाअतों से सख़्ती से इज्तिनाब का हुक्म दिया है। चुनांचे इरशादे बारी तआला है

﴿وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾

तर्जमा: और ज़ालिमों की तरफ ज़रा न झुको कि तुम्हें आग छूएगी। (सुरह हूद : 113)

मुफस्सिरे क़ुरआन, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी عليه الرحمه इस आयत की तफसीर में लिखते हैं : ज़ालिमों से मुराद कुफ्फार, गुमराह और मुरतदीन है, और उनकी तरफ झुकाव से मुराद मुहब्बत, दोस्ती और मेल जोल रखना है। (तफ्सीर नुर अल इरफान)

अल्लाह तआला ने एक दूसरे मुक़ाम पर फरमाया :

﴿إِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ﴾

तर्जमाः और जो कहीं तुझे शैतान भुला दे तो याद आए पर ज़ालिमों के पास न बैठ। (सुरह अल इनआमः 68)

﴿وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهٗ مِنْهُمْ﴾

तर्जमाः और तुम में जो कोई उनसे दोस्ती रखेगा तो वह उन्हीं में से है। (सुरह मायदाः 51)

गुमराह बदमज़हब की सोहबत में बैठना अहादीस की रोशनी में

हुज़ूर ﷺ ने मुतअदद (अलग अलग) मुक़ामात पर ऐसी गुमराह जमातों से दूर रहने का हुक्म दिया, जैसा कि मुख्तलिफ अहादीस में वारिद हुआ :

فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لا يُضِلُّونَكُمْ، وَلا يَفْتِنُونَكُمْ، فَإِنْ مَرِضُوا فَلا تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلا تَشْهَدُوهُمْ، وَإِنْ لَقِيتُمُوهُمْ فَلا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، وَلا تُشَارِبُوهُمْ، وَلا تُوَاكِلُوهُمْ، وَلا تُنَاكِحُوهُمْ

तर्जमाः ख़बरदार! इनसे दूर रहो कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दें और फितने में न डाल दे। अगर वोह बीमार हों जाए तो उनकी इयादत को न जाओ, मर जाएं तो उनके जनाज़े में शरीक न हो, रास्ते में मिलो तो सलाम न करो, उनके साथ न बेठो, न खाओ, न पीओ और न निकाह करो। (ब-हवालाजात सहीह मुस्लिम, अबु दाऊद, इब्ने माजा, तुकैली)

मज़कूरा आयाते करीमा व अहादीसे शरीफा व उलमा ए अहले सुन्नत के मुत्तफिक़ा फैसलों से वाज़ेह होता हैं कि इन गुमराह फिरकों से ताल्लुकात क़ायम करना सख़्त नाजायज़ व हराम व बदकाम बदअंजाम है।

शिर्क का बयान

शिर्क की मज़म्मत (बुराई)

शिर्क गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है और सबसे बड़ा ज़ुल्म भी। इसकी मज़म्मत (बुराई) क़ुरआन व अहादीस में इन्तिहाई सख़्त इबारात अल्फ़ाज़ के साथ आई। जैसा की अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया :

﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ﴾

बेशक अल्लाह इस बात को नहीं बख़्शता कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और उस से नीचे जो कुछ है जिसे चाहता है माफ़ फ़रमा देता है। (सूरह अन निसा: 48)

एक दूसरे मुक़ाम पर इरशाद फरमाता है :

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ﴾

बेशक शिर्क यक़ीनन बड़ा ज़ुल्म है। (सूरह लुक़मान : 13)

और हदीस-ए-पाक में भी शिर्क की बड़ी मज़म्मत (बुराई) आई है जैसा कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

"सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तू अल्लाह का शरीक ठहराए हालाँकि उसी ने तुझे पैदा किया।" (सहीह बुख़ारी, सहीह मुस्लिम)

लिहाज़ा क़ुरआन की आयतों और हदीसे पाक की रोशनी में साबित हो गया कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है और अल्लाह तआला ने उसे बड़ा गुनाह क़रार दिया। (मआज़ अल्लाह) जो शिर्क की हालत में इस दुनिया से जाएगा उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी।

ऊपर बयान की गई बातों से हमें यह सबक़ मिला कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क करने वाले की मग़फिरत नहीं होगी।

मुसलमान को मुशरिक कहना

ऊपर बयान की गई बातों से पता चला कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, लिहाज़ा शिर्क की निस्बत किसी की तरफ़ करने से पहले बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

"जो अपने भाई से कहेः ऐ काफ़िर! तो उनमें से एक पर वह कलिमा लौट जाएगा, अगर वह (हक़ीक़तन) काफ़िर है तो ठीक, वरना कहने वाला ख़ुद काफ़िर हो जाएगा।" (सहीह मुस्लिम, 1/79)

यहां से सबक़ मिल गया कि अगर कोई बंदा किसी को काफ़िर कहता है तो हमे यह देखना है वाक़ई वो काफ़िर है या नहीं, यानी उससे कुफ़्र सरजद (सादिर) हुआ है तो वह काफ़िर है और अगर उसने कुफ़्र नहीं किया फिर भी उसको किसी ने काफ़िर कह दिया तो अब कहने वाला ख़ुद काफ़िर हो जाएगा।

शिर्क का मेअयार कभी नहीं बदलता

यह क़ायदा भी ख़ूब अच्छी तरह ज़हन में बिठा लें कि शिर्क का मेअयार कभी बदलता नहीं। शिर्क हर हाल में शिर्क है, सहाबा करें, ताबेईन करें या कोई और करे, बहरहाल शिर्क ही होगा। यह नहीं हो सकता कि एक ही अमल सहाबा के लिए जाइज़ हो और हमारे लिए शिर्क हो जाए। ज़िन्दों के साथ कोई काम जाइज़ हो और मुर्दों के साथ वही काम शिर्क बन जाए। फ़रिश्तों के लिए जाइज़ और इंसानों के लिए शिर्क हो जाए। क़रीब वालों के लिए जाइज़ और दूर वालों के लिए शिर्क हो जाए।

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान عليه الرحمه फ़रमाते हैं:

"जो बात शिर्क है, उसमें ज़िन्दा, मुर्दा, जिन, फ़रिश्ता सब बराबर हैं। अगर दुआ माँगना और वसीला लेना शिर्क हो तो यह सिर्फ़ मुर्दों

से नहीं बल्कि ज़िन्दों से भी मना होना चाहिए। लेकिन हक़ीक़त यह है कि ज़िन्दों से दुआ की दरख़्वास्त करना जाइज़ ही नहीं बल्कि मुस्तहब है। लिहाज़ा जो दुनिया से जा चुके उनसे भी बतौर-ए-वसीला मदद चाहना जाइज़ है, क्योंकि सबका अक़ीदा यह है कि अस्ल मददगार अल्लाह तआला है।"

शैख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी علیہ الرحمہ (मिशकात शरीफ की शरह) में लिखते हैं:

"अगर दुआ या वसीला माँगना शिर्क होता जैसा कि कुछ मुंकिरीन समझते हैं, तो फिर ज़िन्दों से दुआ कराना भी मना होना चाहिए। लेकिन हक़ीक़त यह है कि यह मना नहीं बल्कि मुस्तहब और दीन में राइज है।" (मुलख़्ख़सन, फ़तावा रज़विया, जिल्द 9, सफ़हा 697)

सबक़ मिला शिर्क शिर्क होता है कोई करे, कैसे भी करे, और कहीं भी करे उसका हुक्म हमेशा एक जैसा रहता है।

वहाबिया का तरीक़ा और अहले सुन्नत का अक़ीदा

इब्ने अब्दुल वह्हाब नजदी के मानने वाले यानी वहाबी हज़रात शिर्क की ताअरीफ और इसके अक़साम व उसूल से नावाक़िफ़ होने की वजह से उम्मते मुस्लिमा की एक बड़ी जमाअत, जिसे सवाद-ए-आज़म और अहले सुन्नत व जमाअत कहा जाता है, उन्हें काफ़िर व मुशरिक कहते नहीं थकते।

फिर आप ﷺ ने यह भी फ़रमाया:

"जो अपने भाई से कहे: ऐ काफ़िर! तो उनमें से एक पर वह कलिमा लौट जाएगा, अगर वह (हक़ीक़तन) काफ़िर है तो ठीक, वरना कहने वाला ख़ुद काफ़िर हो जाएगा।" (सहीह मुस्लिम, 1/79)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ تعالیٰ عنہ ने फ़रमाया:

"ख़ारजी सब से बदतर मख़लूक़ हैं। इसलिए कि वो लोग उन आयतों को जो काफिरों के बारे में नाज़िल हुईं, उन्हें मुसलमानों पर चस्पाँ (fit) करते हैं।" (सहीह बुख़ारी, 9/16)

आज वहाबी हज़रात भी यही कर रहे हैं कि काफिरों के बारे में नाज़िल होने वाली आयात और अहादीस को अहले सुन्नत व जमात पर चस्पा कर के उन्हें मुशरिक व बिदअती क़रार देते हैं। लिहाज़ा वहाबी भी इस उम्मत की बदतरीन मख़लूक़ है इसलिए कि वो मुसलमानों को बिला वजह मुशरिक कहते हैं।

सबक़ मिला हम अहले सुन्नत के अ़क़ाइद व मामूलात जो कि क़ुरआन व हदीस के ऐन मुताबिक़ हैं। उन पर "शिर्क" या "कुफ़्र" के फ़तवे लगाना दरअस्ल ख़ुद को शिर्क व कुफ़्र की भट्टी में झोंकना है।

शिर्क की ताअ़रीफ व अ़क़्साम (Categories)

अब हम शिर्क की ताअ़रीफ और उसकी क़िस्में बयान करेंगे जिसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा आज तक हम बात बात में शिर्क शिर्क सुनते थे लेकिन अब हक़ीक़त सामने आई।

शिर्क की लुग़वी (Dictionary) ताअ़रीफ

लुग़त के एतबार से शिर्क का मअ़ना है: "शरीक बनाना, हिस्सा दार बनाना, दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ बराबर करना।"

शिर्क की इस्तिलाही ताअ़रीफ

अल्लाह तआला की ज़ात व सिफ़ात, उलूहियत व रुबूबियत में किसी ग़ैर को अल्लाह के बराबर क़रार देना शिर्क है।
(मुलख़्ख़सन: अ़क़ीदतुल मुस्लिम, हि. 2, स. 808)

अल्लाह तआला की सिफ़ात

- ❖ **हय्य :** हमेशा से ज़िन्दा व हमेशा ज़िन्दा रहेगा।
- ❖ **समीअ :** बग़ैर कान के सुनने वाला।
- ❖ **बसीर :** बग़ैर आँख के देखने वाला।
- ❖ **क़दीर :** क़ुदरत रखने वाला, जब चाहे तो करे जब चाहे तो न करे।
- ❖ **अलीम :** जानने वाला।
- ❖ **मुरीद :** इरादा करने वाला।
- ❖ **मुतकल्लिम :** कलाम फरमाने वाला।

यह सिफात हमेशा से है और हमेशा रहेगी।

शिर्क की क़िस्में

शिर्क की 3 क़िस्में है :

1. शिर्क फ़िल उलूहियत
2. शिर्क फ़िल इबादत
3. शिर्क फ़िस सिफ़ात

शिर्क फ़िर-उलूहियत : अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जिस तरह हम वाजिबुल वुजूद मानते हैं इसी तरह उसके मुक़ाबिल में किसी को वाजिबुल वुजूद मानना ठहराना।

शिर्क फिल इबादत : अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बिल मुक़ाबिल किसी को वाजिबुल वुजूद मान कर उसकी इबादत करना।

शिर्क फ़िस सिफ़ात : जिस तरह अल्लाह तआला के लिए पैदा करने की सिफते ज़ातिया मुस्तक़िला मानते हैं इसी तरह अल्लाह तआला के लिए सिफते क़ुदरत सिफते समअ व बसर, सिफते कलाम, सिफते इल्म वग़ेरह मानते है इसी तरह मख़लूक़ के लिए सिफ़ते ज़ातिया मुस्तक़िला मानना।

ऊपर बयान की गई शिर्क की तीनों क़िस्में कुफ्र है।

क़ायदा:

"जो कमाल अल्लाह तआला की ज़ात के साथ ख़ास है, अगर कोई उसे ग़ैरे ख़ुदा के लिए ज़ाती व इस्तिक़लाली (बग़ैर किसी के दिये से खुद से हासिल होना) माने तो यह शिर्क है। लेकिन अगर वही कमाल ग़ैर के लिए खुदा ए तआला की अ़ता से माने, यानी अल्लाह के देने और उसके हुक्म से हो, तो यह ईमान है, शिर्क नहीं।"

ज़ाती व अ़ताई का फ़र्क़

शिर्क और उसकी क़िस्में समझने के साथ ही साथ ज़ाती और अ़ताई किसे कहते है और इनमें क्या फर्क़ है वह जानना भी ज़रूरी है।

1. इल्म-ए-ग़ैब

ज़ाती: नबी या वली अपने ज़ोर से सब कुछ जानते हैं → शिर्क है।

अ़ताई: नबी या वली अल्लाह तआला की अ़ता से ग़ैब जानते हैं → ईमान है।

2. मदद करना

ज़ाती: यह अक़ीदा रखना कि कोई नबी या वली खुद से ही मददगार है उन्हें किसी ने ताक़त व क़ुव्वत नहीं दी, उनकी खुद की है → शिर्क है।

अ़ताई: अल्लाह के इज़्न और अ़ता से मददगार मानना → ईमान है।

3. रिज़्क़ देना

ज़ाती: फलाँ बुज़ुर्ग ज़ाती तौर पर रिज़्क़ देते हैं, उन्हे किसी ने नहीं दिया → शिर्क है।

अ़ताई: अस्ल रज़्ज़ाक़ (रिज़्क़ देने वाला) अल्लाह है, वो अल्लाह की अ़ता से अ़ता फरमाते है → ईमान है।

4. शिफ़ा देना

ज़ाती: डॉक्टर या पीर बज़ाते-ख़ुद शिफ़ा देते हैं → शिर्क है।

अ़ताई: अस्ल शिफ़ा अल्लाह देता है, डॉक्टर या वली ज़रिया बनते है → ईमान है।

5. नफ़ा व नुक़्सान

ज़ाती: फलाँ शख़्स अपनी ताक़त से नफ़ा या नुक़्सान पहुंचाता है → शिर्क है।

अ़ताई: अल्लाह के हुक्म से होता है, बन्दे ज़रिया बनते हैं → ईमान है।

6. इख़्तियार

ज़ाती: नबी या वली (अपनी उस ताक़त से जो उनकी खुद की है उन्हें किसी ने नहीं दी) कायनात में इख़्तियार रखते हैं → शिर्क है।

अ़ताई: अल्लाह ने अपने अंबिया व औलिया को कुछ इख़्तियारात अ़ता फ़रमाए हैं → ईमान है।

7. मोअजिज़ा व करामत

ज़ाती: नबी या वली बज़ाते ख़ुद करामत व मोअजिज़ा दिखाते हैं → शिर्क है।

अ़ताई: अल्लाह अपनी क़ुदरत से नबी से मोअजिज़ा और वली से करामत ज़ाहिर फ़रमाता है → ईमान है।

देखा आप हज़रात ने الحمدللہ हम अहले सुन्नत व जमाअत का अक़ीदा साफ सुथरा है कि किसी नबी या वली को बिज़्ज़ात मददगार, या नफा व नुक़्सान का मालिक नहीं जानते बल्कि जो ये अक़ीदा रखे

यक़ीनन वह मुशरिक है। हां हम ये बातें अल्लाह की अ़ता से मानते है और ऐसा भी नहीं है कि हम ये सारी अपनी मन मरज़ी करते हैं बल्कि क़ुरआन व अहादीस में इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं लिहाज़ा उसे मानना शिर्क नहीं बल्कि ईमान है। अल्लाह सही समझ अ़ता फ़रमाए।

वहाबिया के इल्ज़ामात और उनकी हक़ीक़त

वहाबिया के नज़दीक़ :

मज़ार बनाना → शिर्क

क़ब्र पर गुम्बद बनाना → शिर्क

क़ब्र पर चादर चढ़ाना → शिर्क

क़ब्र पर फूल डालना → शिर्क

ईसाल-ए-सवाब → शिर्क

क़ब्र या चादर को चूमना → शिर्क

अगरबत्ती सुलगाना → शिर्क

वहाबिया दियाबना पर लाज़िम है कि इन में से किसी एक को भी शिर्क साबित करें और दलील दें और हम कहते है कि आप हरगिज़ हरगिज़ दलील पेश नहीं कर पाएंगे क्यूंकि शिर्क की ताअ़रीफ से वाज़ेह हो गया कि शिरक़त के लिये बराबरी शर्त है। यानी एक ही तरह की कोई चीज़ दो जगह पाई जाए। अगर बराबरी न हुई तो शिरक़त नहीं होगी, और जब शिरक़त नहीं होगी तो शिर्क भी नहीं होगा।

मसलन जिस तरह इबादत के लायक़ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है अब अगर हम किसी दूसरे को इबादत के लायक़ समझते है तो ये शिर्क फिल इबादत होगा इसलिए कि हमने एक चीज़ (इबादत) को दो ज़ातों के लिए साबित किया।

इसी तरह अगर क़ब्र पर जाना, उस पर चादर चढ़ाना फूल पेश करना गुंबद बनाना अल्लाह के साथ शरीक ठहराना है तो लाज़िम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए क़ब्र मुतअय्यन की जाए कि सिर्फ वहीं जाना जायज़ हो और उसी पर चादर चढ़ाना फूल पेश करना गुंबद बनाना जायज़ हो, दूसरी पर करेंगे तो शिर्क होगा। तब तो साबित होगा कि यक़ीनन ऊपर ज़िक्र की गई चीज़े शिर्क है, वरना किसी सूरत शिर्क साबित नहीं होता।

लिहाज़ा वहाबियों देवबंदियों पर लाज़िम है कि दलील के साथ बतायें कि कौन सी क़ब्र ऐसी है जहाँ यह सब उमूर (काम) दुरुस्त हैं और वहाँ के अलावा दूसरी जगह यह सब शिर्क हो जाते हैं?

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين

नतीजा :

हर मुसलमान बख़ूबी जानता है कि ख़ुदाए हय्य व क़य्यूम के लिए मौत नहीं! जब मौत नहीं तो क़ब्र नहीं! और जब क़ब्र नहीं तो चादर नहीं! और चादर नहीं तो उस पर फूल नहीं। मालूम हुआ यह तमाम चीज़ें ख़ुदा के लिये है ही नहीं बल्कि महबूबान-ए-ख़ुदा के लिये हैं।

जब महबूबान-ए-ख़ुदा के लिये हैं तो शिर्क का वहम व गुमान भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जमाअत-ए-वहाबिया दयाबना की ज़िद, हटधर्मी और कट हुज्जती है कि सब कुछ वाज़ेह होने के बावजूद भी लोगों को गुमराही में मुबतला किया जा रहा है। कि क़ब्र पर जाना शिर्क, फूल चढ़ाना शिर्क, चादर चढ़ाना शिर्क لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ अगर इनकी बात मान ली जाए तो ना जाने कितने लोग इनके हिसाब से मुशरिक हो जाएंगे, लेकिन जब यह उमूर शिर्क है ही नहीं तो हुक्म खुद इन पर लौट जाएगा।

बिदअ़त का बयान

✦ बिदअ़त की हक़ीक़त, अक़साम और अहले सुन्नत के माअमुलात

आज कल एक तबक़ा अहले सुन्नत के माअमुलाम को बिदअ़त का लेबल लगा कर अवाम को गुमराह करता है। मीलादुन्नबी, इसाले सवाब, महाफिले नात व तक़रीर, फातिहा, ग्यारहवीं शरीफ, ज़िक्र व सलाम जैसे आमाल को बिला दलील बिदअते दलालत क़रार देता है। लेकिन अगर हम शरीअत की असल तारीफात, अकाबिर अइम्मा की तशरीहात और हत्ता कि उन्ही फिरक़ाहाए बातिला के उनके अपने पेशवाओं की किताबों को पढ़ते है तो हक़ीक़त सामने आ जाती है कि बिदअ़त की तक़सीम मुसल्लम है और हर बिदअ़त बुरी नहीं।

बिदअ़त की ताअ़रीफ :

लुग़त में: नई चीज़ इजाद करना जिसकी कोई मिसाल पहले न हो।
शरीअत में: ऐसा नया अमल जो अहदे रिसालत में न हो लेकिन शरीअत के उसूल के खिलाफ भी न हो।

बिदअ़त की अक़साम :

1. **बिदअते वाजिबा :** जैसे इल्मे नहव की तदवीन, उसूले फिक़ह की तरतीब कि इनके बग़ैर क़ुरआन समझना समझाना बहुत मुश्किल है लिहाजा इसका सीखना जायज़ ही नहीं बल्कि वाजिब है क्यूंकि क़ुरआन सीखना ज़रूरी है।
2. **बिदअते मन्दूबा (मुस्तहबा) :** जैसे मदारिस का क़याम, मीलादुन्नबी की महाफिल। पहले के ज़माने में आज की तरह ना तो मदरसे थे ना ही मदरसों का कोई खास निसाब (सेलेबस) ना

ही फराग़त होती ना फराग़त का जलसा न ख़त्मे बुखारी शरीफ की महफिल न सनद की तक़सीम, कुछ नहीं था।

3. **बिदअते मुबाहा (जाइज़ा) :** जैसे नये खाने पीने, लिबास या सहूलतों का इस्तेमाल।
4. **बिदअते मकरूहा :** जैसे मसाजिद की ज़रूरत से ज़्यादा तज़ईन।
5. **बिदअते मोहर्रमा (हराम) :** जैसे खिलाफे शरअ रस्में, गुमराहकुन अक़ाइद, मुरवज्जा ताज़ियादारी।

जहां हमें अहले सुन्नत व जमाअत के अकाबिर औलमा मसलन इमाम अबु ज़करिया नववी, इमाम जलालुद्दीन सुयुती, इमाम इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम, इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी, इमाम बदरुद्दीन ऐनी और दीगर अकाबिर की जानिब से बिदअ़त की तक़सीम मिलती है, वहीं दूसरी जानिब मुखालिफीन (जमाअते वहाबिया) के अकाबिर की जानिब से भी बिदअ़त की तक़सीम मिलती है मसलन जमाअते वहाबिया/ग़ैर मुक़ल्लिद/अहले हदीस के अकाबिर क़ाज़ी शौकानी, नवाब सिद्दीक़ हसन खान भोपाली, वहीदुज़्ज़मां ने इस बात को तस्लीम किया है कि बिदअ़त महज़ गुमराही का नाम नहीं है बल्कि जायज़, मुस्तहब, मुस्तहसन बल्कि वाजिब का दर्जा भी रखती है।

क़ुरआन व हदीस की रोशनी में बिदअते हसना :

❖ हज़रते उमर फारूक़ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ने तरावीह के इज्तिमाअ को देख कर फरमाया: نعم البدعة هذه "यानी ये अच्छी बिदअ़त है।" अगर बिदअ़त की हर शक्ल दलालत व गुमराही होती तो सय्यिदुना उमर رضی اللہ تعالیٰ عنہ इस को अच्छी बिदअ़त न कहते। (सहीह बुख़ारी)

❖ रसूल अल्लाह ﷺ का फरमान:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ "यानी जिसने इस्लाम में अच्छी सुन्नत जारी की, उसे उसका अजर और इस पर अमल करने वालों का अजर भी मिलेगा।" (सहीह मुस्लिम)

अल-हासिल

❖ बिदअ़त की तक़सीम सिर्फ अहले सुन्नत की नहीं बल्कि मुख़ालिफीन के अकाबिरीन ने भी तस्लीम की है।

❖ हर नई चीज़ बिदअते सय्यिआ नहीं बल्कि बाज़ बिदअतें वाजिबा, मन्दूबा और हसना भी है।

❖ अहले सुन्नत के माअमुलात क़ुरआन, सुन्नत और इज्माअ से साबित है, लिहाज़ा इन पर बिदअते सय्येआ दलालत का हुक्म और फतवा लगाना जहालत और अवाम को गुमराह करने के मुतरादिफ है।

ज़ात-ए-बारी तआला का बयान

❖ हम यहाँ अल्लाह तआला की ज़ात-ए-बाबरकत और उस की सिफ़ात के मुतअल्लिक कुछ बुनियादी अक़ाइद ज़िक्र कर रहे हैं जिन का जानना मुसलमान पर फ़र्ज़ है।

❖ अल्लाह नाम है उस ज़ात-ए-वाजिबुल-वुजूद का जो हर खूबी व सिफ़त में मुस्तक़िल-बिज़्ज़ात है। यानी उस का होना ज़रूरी है और उस का न होना मुहाल है।

❖ कायनात की हर चीज़ हादिस है यानी उसका वजूद पहले न था बाद में हुआ, लेकिन अल्लाह तआला क़दीम है, यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगा।

❖ वह किसी का मोहताज नहीं, बल्कि सब उस के मोहताज हैं। वही ख़ालिक़ है सारे जहान का, सब को पैदा करने वाला है, और वही रज़्ज़ाक़ है, सब को रोज़ी देने वाला है।

❖ अल्लाह तआला की ज़ात बे-मिस्ल है, न उस की मिस्ल कोई चीज़ है और न ही कोई उस जैसा हो सकता है। क़ुरआन में फ़रमाया:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (सूरह शूरा: 11)

यानी उस जैसी कोई चीज़ नहीं, और वही खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है।

❖ अल्लाह तआला की ज़ात जिस्म, सूरत, रंग, शक्ल, जिह्त और हुदूद से पाक है।

❖ वह ज़मान व मक़ान से पाक है।

❖ जो अल्लाह तआला के लिए हाथ, पाँव, आँख या चेहरा मख़लूक़ की तरह माने वोह काफ़िर है।

- अल्लाह तआला की सिफ़ात क़ुरआन व हदीस में मज़कूर हैं, मगर उन का मतलब मख़लूक़ की सिफ़ात की तरह लेना जाइज़ नहीं बल्कि गुमराही है। मसलन, अल्लाह तआला "समीअ" (सुनने वाला) और "बसीर" (देखने वाला) है, मगर उस की समाअत व बसारत हमारी तरह कान या आँख के ज़रिए नहीं, बल्कि वो सुनने वाला है जैसा कि उसकी शान के लायक़ है और देखने वाला है और देखने वाला है जैसा उसकी शान के लायक है।

सिफाते बारी तआला का बयान

अल्लाह तआला की सिफ़ात दो तरह की हैं :

सिफ़ात-ए-सुबूतिया हक़ीक़िया

सिफ़ात-ए-सलबिया

सिफ़ात-ए-सुबूतिया हक़ीक़िया : से मुराद वह सिफ़ात हैं जो अल्लाह तआला के लिए साबित हैं, जैसे हयात, इल्म, सम्अ व बसर, इरादा, मशीयत, क़ुदरत, कलाम वग़ैरह।

सिफ़ात-ए-सलबिया : से मुराद वह सिफ़ात हैं जिनसे अल्लाह तआला को जुदा करना फर्ज़ है। जैसे अल्लाह तआला का जिस्म नहीं, अल्लाह तआला जोहर नहीं, अल्लाह तआला अर्ज़ नहीं, उसकी तरह कोई चीज़ नहीं, अल्लाह पर ज़माना जारी नहीं होता, अल्लाह तआला हिस्से वाला नहीं, अल्लाह तआला मुसव्वर नहीं, अल्लाह तआला हर ऐब व नफ़्स से पाक है।

अहले सुन्नत का अक़ीदा यह है :

अल्लाह तआला के सब अफ़आल हिकमत से भरपूर हैं, मगर अल्लाह पर उन अफआल का करना लाज़िम नहीं। अल्लाह तआला हर इरादे व फ़ेल में मुख़्तार है।

वही ज़िन्दा करता है, वही मारता है, वही इज़्ज़त देता है और वही ज़िल्लत देता है।

अल्लाह तआला हर चीज़ का इल्म रखता है, कोई ज़र्रा भी उस के इल्म से बाहिर नहीं।

क़ुरआन में है:

﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

अल्लाह की किताब में बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है।(सूरह अनफ़ाल: 75)

इसी तरह अल्लाह तआला हर मुमकिन चीज़ पर क़ुदरत रखता है।

कायनात में जो कुछ होता है, उसी के हुक्म और इरादा से होता है।

नफ़अ व नुक़्सान, इज़्ज़त व ज़िल्लत, ज़िंदगी व मौत सब उसी के क़ब्ज़ा-ए-क़ुदरत में है।

अल्लाह तआला कलाम करने वाला है। उस की सिफ़त-ए-कलाम क़दीम है, हादिस नहीं।

क़ुरआन मजीद अल्लाह का कलाम है, मख़लूक़ नहीं है।

जो शख़्स क़ुरआन को मख़लूक़ माने, वह गुमराह व बद दीन है।

अहले सुन्नत का ये भी अक़ीदा है:

अल्लाह तआला की उसकी ज़ात व सिफ़ात के साथ जाने और माने कि अल्लाह तआला अपनी ज़ात व सिफ़ात के साथ वजूद रखता है।

अल्लाह तआला एक है, उस का कोई शरीक नहीं, न ज़ात में, न सिफ़ात में, न अफ़आल में।

शिर्क सबसे बड़ा गुनाह और नाक़ाबिले-माफ़ी जुर्म है अगर बग़ैर तौबा के मर जाए।

क़ुरआन में है:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾

बेशक अल्लाह इसे नहीं बख़्शता कि उसके साथ कुफ़्र किया जाए, और कुफ़्र से नीचे जो कुछ है जिसे चाहे माफ़ फ़रमा देता है। (सूरह निसा: 48)

अल-हासिल

अल्लाह तआला अपनी ज़ात व सिफ़ात में यकता व बेमिस्ल है।

अज़मते मुस्तफा ﷺ

अज़मत-ए-मुस्तफ़ा ﷺ

अल्लाह तआला ने इन्सानों की हिदायत के लिए हज़ारों अंबिया व रसूल को मबऊस किया, मगर उन सब में सबसे आला व अफ़ज़ल, सबसे ज़्यादा मुकर्रम व मुअज़्ज़म, सबसे ज़्यादा महबूब व मुक़र्रब हस्ती सय्यिदुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन, रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा ﷺ की ज़ात-ए-अक़दस है।

क़ुरआन और अज़मत-ए-मुस्तफ़ा ﷺ

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िक्र के साथ अपने महबूब नबी ए करीम ﷺ के ज़िक्र को मिलाया हत्ता कि अज़ान से नमाज़, ख़ुत्बे से क़ुरआन, कलिमा से दरूद तक हर जगह हर मुक़ाम पर अपने ज़िक्र के साथ मुस्तफ़ा करीम ﷺ का ज़िक्र फरमाया और यूं आप ﷺ के मक़ाम व मरतबा को ख़ूब बुलंद फरमाया, जैसा कि क़ुरआन में है

﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾

यानीः और हमने तुम्हारी ख़ातिर तुम्हारा ज़िक्र बुलंद कर दिया। (अन-नशरह : 4)

रहमतुल्लिल आलमीन (हुज़ूर सारे जहान के लिए रहमत है) :

आप ﷺ सिर्फ इंसानों के लिए ही रहमत नहीं बल्कि जिन्नात, हैवानात, नबातात, फरिश्तों, हत्ता कि जमादात के लिए भी रहमत है, जैसा कि क़ुरआन ए मुक़द्दस में इरशाद हुआ :

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

यानी: और हमने तुम्हें न भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिए। (अल-अंबिया: 107)

हुज़ूर ﷺ के फ़ज़ाइल व ख़साइस :

अहले सुन्नत का अक़ीदा है: कि सय्यिदे आलम ﷺ को अल्लाह तआला ने वो कमालात अ़ता फ़रमाए जो किसी और को न मिले।

हुज़ूर ﷺ ने फरमाया : सुनो मैं अल्लाह का हबीब हूं और कोई फख़्र नहीं, क़यामत के दिन साहिबे लिवा उल हम्द मैं हूं जिसके नीचे हज़रते आदम और तमाम अंबिया علیهم السلام होंगे और कुछ फख़्र नहीं, क़यामत के दिन सबसे पहले शफाअत मैं करूंगा और सबसे पहले मेरी शफाअत क़ुबूल होगी और कोई फख़्र नहीं, मैं सबसे पहले बाब-ए-जन्नत की जन्ज़ीर हिलाउंगा, अल्लाह عزوجل मेरे लिए बाबे जन्नत खोल कर मुझे इसमें दाखिल फरमाएगा और मेरे साथ फुक़रा ए मुस्लिमीन होंगे और कुछ फख़्र नहीं, और तमाम अव्वलीन व आख़रीन में बारगाहे इलाही में मेरी इज़्ज़त सबसे ज़्यादा है और कुछ फख़्र नहीं। (जामे तिरमिज़ी)

मेअराज :

अल्लाह तआला ने अपने महबूब ﷺ को सिदरतुल मुन्तहा तक सैर कराई और क़ुर्बे खास अ़ता फरमाया और दीदार भी कराया यानि हुज़ूर ﷺ ने अपने दिल और सर की आंखों से अपने रब عزوجل का दीदार किया।

जामिउल कमालात:

आप ﷺ को अल्लाह तआला ने ऐसा बनाया कि जीतने औसाफ़ (ख़ूबियाँ) तमाम लोगों में पाये जाते हैं ख़्वाह नबी हो या वली उन

तमाम के बराबर बल्कि उससे बहुत ज़्यादा हुज़ूर ﷺ की ज़ात ए मुकद्दसा में पाये जाते है। यानि जितने मोअजिज़ात व कमालात अलग अलग अंबिया ए किराम में पाये जाते है वो तमाम आप ﷺ की ज़ात ए मुक़द्दसा में कामिल तौर पर मौजूद है।

मोअजिज़ात :

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया ए किराम علیهم السلام के हाथों मोअजिज़ात ज़ाहिर फरमाए और हर नबी को चंद मोअजिज़ात अ़ता फरमाए लेकिन अपने महबूब ए करीम ﷺ को सरापा मोअजिज़ा बना कर भेजा जिनमे से चंद एक का ज़िक्र किया जाता है :

- आप ﷺ ने चाँद के दो टुकड़े फरमाये
- जानवरों और पत्थरों ने आप ﷺ से कलाम किया
- कंकर ने आप ﷺ के हाथों कलमा पढ़ा
- क़ुरआन और सफर-ए-मेअराज जैसे अज़ीम मोअजिज़ात अ़ता फरमाए
- पेड़ों ने आप ﷺ को सज्दा किया
- आप ﷺ ने डूबे सूरज को पलटाया
- आप ﷺ की उँगलियों से पानी का चश्मा जारी होना।

इल्मे मा काना व मा यकून :

यानी जो कुछ हुआ और क़यामत तक जो कुछ होने वाला है उन सब बातों का इल्म आपको अल्लाह की अ़ता से हासिल है।

नूरानियत :

हदीसे नूर : अल्लाह तआला ने तमाम चीज़ों से पहले अपने नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया जैसा कि हदीस-ए-सहीह में वारिद है।

ख़ुल्क़े अज़ीम :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (अल-क़लमः 4)

आप ﷺ के अख़लाक़-ए-करीमाना को देख कर लोग आपके हाथ पर इस्लाम क़बूल करते थे।

ईमान की शर्तः

हदीस : لا يُؤْمِنُ أحدُكم حتى أكونَ أحبَّ إليه من ولدِهِ ، ووالدِهِ ، والناسِ أجمعينَ (सहीह बुख़ारी, मुस्लिम)

जैसा कि हदीसे सहीह में हैः ऐ जाबिरः बेशक अल्लाह तआला ने तमाम अशियां से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया।

नीज़ दूसरी हदीस यह है कि सबसे पहले अल्लाह तआला ने मेरे नूर को पैदा फरमाया, तुम में से उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसकी तमाम औलाद और उसके वालिदेन और तमाम जहान से ज़्यादा मेहबूब न हो जाऊं।

डॉ. इक़बाल ने कहा

मुहम्मद ﷺ की मुहब्बत दीने हक़ की शर्ते अव्वल है
गर इसी में हो ख़ामी तो सब कुछ ना मुकम्मल है

इताअत-ए-रसूल फ़र्ज़ :

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (अन-निसाः 80)

इताअते ख़ुदा व रसूल ﷺ फर्ज़ व लाज़िम है। इताअत का मतलब यह है कि हक़ीक़त में अल्लाह का हुक्म मानना है, रसूल ﷺ का हुक्म मानना। साथ ही साथ क़ुरआने पाक में वारिद है हुक्म मानो अल्लाह का और रसूल अल्लाह का और इल्म वालों का।

तअज़ीम-ए-मुस्तफ़ा ﷺ:

क़ुरआने पाक की मुतअद्दिद आयात में नबी ए पाक ﷺ की ताज़ीम व तौक़ीर का हुक्म दिया

﴿لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ﴾

ताकि ऐ लोगो! तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और रसूल की तअज़ीम व तौक़ीर करो। (अल–फतह : 9)

और हुज़ूर ﷺ की अदना तोहीन को आमाल की बर्बादी का सबब बताया जैसा कि क़ुरआने पाक में इरशाद हुआ :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ

तर्जमा : ऐ ईमान वालो! अपनी आवाज़ें ऊँची न करो उस ग़ैब बताने वाले (नबी) की आवाज़ से, और नबी के हुज़ूर ऐसे ऊँची आवाज़ से बात न कहो जैसे आपस में एक–दूसरे के सामने ऊँची आवाज़ में कहते हो, (वरना) कहीं तुम्हारे अमल अकारत (बर्बाद) न हो जाएँ और तुम्हें ख़बर भी न हो।

दरूद व सलाम:

हदीस : من صلّى عليّ صلاةً صلّى الله عليه بها عشرًا

यानी : जो एक बार दरूद भेजे, अल्लाह उस पर दस रहमतें नाज़िल फ़रमाता है।

हुज़ूर ﷺ ने फरमाया जो बन्दा मुझ पर दुरूद पढ़ता है मैं उसका दुरूद सुनता भी हूं उसे पहचानता भी हूं। दुरूदे पाक इश्क़े मुस्तफा ﷺ पैदा करने का बहुत बड़ा ज़रिया है बल्कि हर मुश्किल व दुश्वारी को दूर करने के लिए मुअस्सिर है।

हक़ीक़त-ए-नुबुव्वत व रिसालत

तारीफ़-ए-नबी व रसूल

- **नबी** : वो बशर हैं जिन पर अल्लाह तआला की जानिब से वही नाज़िल हो।
- **रसूल** : वो नबी हैं जो अल्लाह तआला की जानिब से नई शरीअत या हुक्म लेकर आए। (फ़रिश्ते भी रसूल होते हैं।)
- **वही-ए-इलाही** : नबी पर वही कभी फ़रिश्ते के वास्ते से, कभी बिला वास्ता नाज़िल होती है।
- **आस्मानी किताबें** : तौरात, ज़बूर, इंजील और क़ुरआन।
- **क़ुरआन का मोअज़िज़ा** : यह है कि बच्चा-बच्चा इसे हिफ़्ज़ करता है और इसकी सात क़िराअतें मुतवातिर व बरहक़ हैं।
- **ख़तम-ए-नुबुव्वत** : जो किसी नबी से नुबुव्वत के ज़वाल को जाइज़ समझे वो काफ़िर है।
- **इस्मतुल अंबिया** : अंबिया عليهم السلام गुनाह व ख़ता से मासूम व महफ़ूज़ होते हैं, उनसे कबले बिअसत व बाअदे बिअसत कबाइर व सगाइर का सादिर होना मुहाल है। अइम्मा ए दीन को अंबिया عليهم السلام की तरह मासूम समझना गुमराही है।
- **तबलीग़-ए-अहकाम** : अंबिया عليهم السلام ने अल्लाह का हर हुक्म बन्दों तक पहुँचा दिया। जो कहे कि उन्होंने कोई हुक्म छुपा लिया, वो काफ़िर है।

❖ **इल्म-ए-ग़ैब :** अल्लाह ने अंबिया علیھم السلام को अपने ग़ुयूब पर मुत्तला फ़रमाया। ज़मीन व आसमान का हर ज़र्रा उनके इल्म में है, लेकिन यह इल्म अ़ताई है, ज़ाती नहीं और मुतनाही है।

❖ **तअज़ीम-ए-अंबिया :** नबी की तअज़ीम फ़र्ज़-ए-ऐन है। किसी नबी की अदना तौहीन कुफ़्र है।

❖ **हयात-ए-अंबिया :** अंबिया علیھم السلام की हयात हक़ीक़ी हैं, यानि खाते-पीते हैं, जहाँ चाहें आते-जाते हैं। उनकी हयात, शुहदा की हयात से भी अरफ़ा व आला है।

ख़ुलासा

सय्यिदुल अंबिया ﷺ सब नबियों के सरदार, सब रसूलों के इमाम है और शफ़ीउल मुजनिबीन हैं। ईमान की बक़ा आपकी मुहब्बत व अज़मत के इक़रार से है। अहले सुन्नत की पहचान यही है कि वो हज़ूर ﷺ की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ को दीन व ईमान का सबसे बड़ा फ़र्ज़ समझते हैं।

इल्मे ग़ैब का बयान

ग़ैब के लुग़वी और इस्तिलाही मआनी

ग़ैब "غَابَ يَغِيبُ" का मसदर है जिसका मअना है पोशीदा होना, ग़ाएब व ग़ैर हाज़िर होना, ग़ैर मौजूद होना। (मिस्बाहुल लुग़ात, मतबूआ मकतबा बुरहान दिल्ली, स. 613)

शरई इस्तिलाह में ग़ैब उस छुपी हुई चीज़ को कहते हैं जिसको इंसान अपने पाँच इन्द्रियों (five sense organs) (आँख, कान, नाक, ज़बान और हाथ) से महसूस न कर सके और न ही दलील के बग़ैर वह चीज़ अक़्ल में आये जैसे जिन, फ़रिश्ते, जन्नत, दोज़ख़ वग़ैरह। (तफ़सीर रूहुल बयान, मतबूआ दारुल फ़िक्र बेरूत, हिस्सा अव्वल, स. 32)

ग़ैब के अक़्साम (Types) :

ग़ैब की दो क़िस्में हैं –

पहली क़िस्म : वह जो दलील से मालूम हो सके जैसे जन्नत, दोज़ख़ और ख़ुदा-ए-तआला की ज़ात व सिफ़ात वग़ैरह, कि दुनिया की चीज़ों को देखकर और क़ुरआन मजीद की आयतों को पढ़कर इसका पता चलता है।

दूसरी क़िस्म : वह जिसको दलीलों से भी मालूम न किया जा सके जैसे क़यामत का इल्म कि वह कब आयेगी, इंसान कब मरेगा इसका इल्म वग़ैरह। (तफ़सीर रूहुल बयान, नाशिरः दारुल फ़िक्र बेरूत, जिल्द अव्वल, स. 32)

इल्मे ग़ैब के मुतअल्लिक अहले सुन्नत व जमाअत का अक़ीदा:

(1) अल्लाह तआला ने हुज़ूर ﷺ को ग़ैब का इल्म अता फ़रमाया, यह अक़ीदा ज़रूरियाते दीन में से है और इसका इंकार कुफ़्र है।

(2) अल्लाह तआला ने हुज़ूर ﷺ को "مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ" (जो कुछ हुआ और जो कुछ होने वाला है) का इल्म अता फ़रमाया है, यहाँ तक कि पांच ग़ैबों का इल्म दिया गया।

(3) तमाम गुजिश्ता और आइन्दा वाक़ियात जो लौहे महफ़ूज़ में हैं उनका भी इल्म बल्कि उनसे भी ज़्यादा का इल्म हुज़ूर ﷺ को दिया गया। हुज़ूर ﷺ का इल्म सारी मख़लूक़ात यहाँ तक कि हज़रत आदम علیہ السلام और मलक़ुल मौत के इल्म से भी ज़्यादा है क्योंकि ये भी मख़लूक़ात में से हैं। क्योंकि यह सब मख़लुक़ात में से है और मख़लुक़ात में सबसे ज़्यादा इल्म आप ﷺ को दिया गया मगर यह सब इल्म मुतनाही है।

इल्मे ग़ैब के मुतअल्लिक वहाबी का अक़ीदा:

मोलवी रशीद अहमद गंगोही ने एक सवाल के जवाब में तहरीर किया है: "हज़रत صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم को इल्मे ग़ैब न था और यह अक़ीदा रखना कि आप ﷺ को इल्मे ग़ैब था सरीह (खुला) शिर्क है।" (फ़तावा राशिदिया, स. 103, नाशिर: साक़िब बुक डिपो, देवबंद)

इमामे वहाबिया मौलवी इस्माईल देहलवी: "अल्लाह का सा इल्म किसी और को साबित करना सो इस अक़ीदे से आदमी अलबत्ता मुशरिक हो जाता है। ख़्वाह यह अक़ीदा अंबिया व औलिया से रखे, ख़्वाह पीर व शहीद से, ख़्वाह इमाम व इमाम ज़ादा से, ख़्वाह भूत व परी से। फिर ख़्वाह यूँ समझे कि यह बात उनको अपनी ज़ात से है, ख़्वाह अल्लाह

के देने से, ग़रज़ इस अक़ीदे से हर तरह शिर्क साबित हो जाता है।"
(तक़्वियतुल ईमान, सफ़हः 9, पहला बाबः शिर्क व तौहीद के बयान में, राशिद कम्पनी, देवबंद)

अहले सुन्नत के यहाँ रसूलुल्लाह ﷺ को अल्लाह की अ़ता से ग़ैब का इल्म हासिल है, मगर वहाबियों के यहाँ अल्लाह की अ़ता से भी ग़ैब मानना शिर्क है।

क़ुरआन मुक़द्दस से इल्मे ग़ैब का सुबूत :

(1) ग़ैब चुनिंदा रसूलों को दिया गया हैः

﴿وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ﴾

तर्जमाः और अल्लाह की शान यह नहीं कि ऐ आम लोगो तुम्हें ग़ैब का इल्म दे दे, हाँ अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसे चाहे। (सूरह आले इमरान : 159)

(2) अल्लाह इल्मे ग़ैब अ़ता फ़रमाता हैः

﴿عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖۤ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ﴾

तर्जमाः ग़ैब का जानने वाला अपने ग़ैब पर किसी को इत्तिला नहीं देता, सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। (सूरत अल जिन : 26, 27)

(3) ﴿وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ﴾

तर्जमाः और ये नबी ग़ैब बताने में बख़ील नहीं। (सूरत अल तकवीर : 24)

(4) ﴿تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَاۤ اِلَيْكَ﴾

यह कुछ ग़ैब की ख़बरें हैं जो हम तुम्हारी तरफ़ वही करते हैं। (सूरह हूद : 49)

(5) ﴿وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا﴾

तर्जमाः और आप को वह सब कुछ सिखा दिया जो आप न जानते थे, और आप पर अल्लाह का फ़ज़्ल बहुत बड़ा है। (सूरह निसा : 113)

(6) ﴿ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَیْبِ نُوْحِیْهِ اِلَیْكَ﴾

तर्जमा: यह कुछ ग़ैब की ख़बरें हैं जो हम तुम्हारी तरफ़ वही करते हैं। (सूरह युसुफ : 102)

अहादीस से इल्मे ग़ैब का सुबूत :

(1) हज़रत उमर फ़ारूक़ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ने फ़रमाया:

"قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَقَامًا فَاَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتّٰى دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ، وَاَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، حَفِظَ ذٰلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَ نَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ"
(सहीह बुख़ारी, हि. 4, स. 106, हदीस नंबर : 3192)

तर्जमा : हुज़ूर ﷺ हमारे दरमियान एक मुक़ाम पर खड़े हुए और हमें इब्तिदा (पैदा होने) से लेकर यहाँ तक ख़बर दी कि जन्नती अपनी मंज़िलों में पहुँच गये और जहन्नमी अपनी मंज़िलों में। जिसने याद रखा उसने याद रखा और जो भूल गया वह भूल गया।

(2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास رضی اللہ تعالیٰ عنہما से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने इरशाद फ़रमाया:

اَتَانِي رَبِّي فِي اَحْسَنِ صُوْرَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ. قَالَ فِيْمَا يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْاَعْلٰى؟ قُلْتُ رَبِّ لَا اَدْرِي، فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ يَدَي كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (सुनन तिरमिज़ी)

तर्जमा: मैंने अपने रब की बेहतरीन सूरत (जो उसकी शान के लायक है) ज़ियारत की, तो उसने मुझसे फ़रमाया: ऐ मुहम्मद ﷺ ! मैंने अर्ज़ की: मैं हाज़िर हूँ। उसने फ़रमाया: "मलाए आला वाले फ़रिश्ते किस बारे में गुफ़्तगू कर रहे हैं?" मैंने अर्ज़ की: "मुझे इल्म नहीं।" उसने मेरे दोनों शानों के दरमियान अपना दस्ते क़ुदरत रख दिया, मैंने अपने दिल पर

उसकी ठंडक महसूस की, तो मैंने सब जान लिया जो मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान है।

इस के सिवा बहुत सारी अहादीसे सहीहा से हुज़ूर عليه السلام के लिये कसीर इल्मे ग़ैब साबित होता है लेकिन हक़ तस्लीम करने वालों को इस क़दर काफ़ी व वाफ़ी।

इल्मे ग़ैबे इलाही और इल्मे नबवी में बुनियादी फ़र्क़ मुलाहिज़ा हो:

हम यहाँ इमामे अहले सुन्नत सैय्यदी आला हज़रत के हवाले से "इल्मे इलाही" और "इल्मे नबवी" के दरमियान फ़र्क़ वाज़ेह करना चाहते हैं ताकि अहले इनसाफ़ पर यह रोशन हो जाये कि हम अहले सुन्नत नबी करीम ﷺ के लिये हरगिज़ हरगिज़ "अल्लाह का सा इल्म" नहीं मानते। आप फ़रमाते हैं:

(1) अल्लाह तआला का इल्म ज़ाती है और मख़लूक़ का इल्म अताई।

(2) अल्लाह तआला का इल्म उसकी ज़ात के लिये वाजिब है और मख़लूक़ का इल्म उसकी ज़ात के लिये मुमकिन।

(3) अल्लाह तआला का इल्म अज़ली, सरमदी, क़दीम, हक़ीक़ी है कि हमेशा से है, ऐसा नहीं कि पहले न था फिर हुआ। और मख़लूक़ का इल्म हादिस, कि पहले न था फिर हुआ।

(4) अल्लाह तआला का इल्म ग़ैर मख़लूक़ है और मख़लूक़ का इल्म भी मख़लूक़ है।

(5) अल्लाह तआला का इल्म किसी के ज़ेरे क़ुदरत नहीं और मख़लूक़ का इल्म अल्लाह तआला के ज़ेरे क़ुदरत व इख़्तियार है।

(6) अल्लाह का इल्म बाक़ी रहना वाजिब है और मख़लूक़ का इल्म ऐसा नहीं, उसका फ़ना होना मुमकिन है।

(7) अल्लाह तआला के इल्म में तग़य्युर मुहाल है और मख़लूक़ के इल्म में तग़य्युर मुमकिन।
(अद दौलतुल मक्किय्या)

तत्बीक़ :

बहुत सारी क़ुरआनी आयात हमें ऐसी मिलती हैं जिनमें इल्मे ग़ैब की नफ़ी की गयी है, वहीं दूसरी जानिब बहुत सारी क़ुरआनी आयात और अहादीसे सहीहा हमें ऐसी मिलती हैं जिन से ग़ैरुल्लाह के लिये इल्मे ग़ैब का सबूत मिलता है।

तो ऐसे में तत्बीक़ की कोई न कोई सूरत निकालनी पड़ेगी ताकि तमाम आयात व अहादीस पर अमल हो सके। तो तत्बीक़ की सूरत यह रहेगी कि जहाँ-जहाँ इल्मे ग़ैब की नफ़ी है वहाँ उस से मुराद ग़ैब का इल्म ज़ाती है, जो बग़ैर किसी की अ़ता व इत्तिला के ख़ुद ज़ाते इलाही के लिये हमेशा से है। इसे कुछ उलेमा "इल्मे इस्तेक़लाली" भी कहते हैं कि यह इल्म ज़ाते इलाही के लिये मुस्तक़िल तौर पर बग़ैर किसी वासिता के है।

और जिन आयात व अहादीस में अंबिया व सैय्यदुल अंबिया ﷺ के लिये इल्मे ग़ैब का इस्बात किया गया है वहाँ उस से मुराद ग़ैब का इल्म अ़ताई व इत्तिलाई व मजाज़ी है, जिसके लिये किताब व सुन्नत में सुबूत मिलता है।

मज़ीद तहक़ीक़ के लिये इमामे अहले सुन्नत सय्यिदी आला हज़रत की कुतुब मसलन ख़ालिसुल ऐतिक़ाद और अद-दौलतुल मक्कीया वग़ैरह का मुताला करें।

इल्मे "ماکان ومایکون" क्या है?

किसी मुक़ाबिल या मुख़ालिफ़ पर एतराज़ करने से पहले उसके अ़क़ीदे को अच्छी तरह जान लेना ज़रूरी है।

अहले सुन्नत व जमाअत का अक़ीदा यह है कि हुज़ूर ﷺ को कुल "ما كان وما يكون" का इल्म है।

इस ज़ीमन में दो चीज़ें याद रखने की हैं :

(1) एक का ताल्लुक़ नुज़ूले क़ुरआन की तकमील से पहले के ज़माने से है। इस दर्जे में हम मुकम्मल "ما كان وما يكون" का एतिक़ाद नहीं रखते बल्कि इतने कसीर और वाफ़िर का अक़ीदा रखते हैं जो शाने नुबुव्वत के लायक़ है और रसूलल्लाह के लिए इल्मे ग़ैब अताई क़द्रे मोअतद बे मानते है।

इस दर्जे में कुछ चीज़ों का इल्म न होना ग़ैब दानी के मुनाफ़ी नहीं है। मसलन, कोई शख़्स यह कहता है कि हम "शैख़ुल हदीस" हैं। तो क्या वह अहादीस इस तरह से जानता है कि कोई हदीस उससे किसी वक़्त भी पोशीदा न हो और हर हदीस उसे हर वक़्त याद हो? यक़ीनन ऐसा नहीं है और न कोई शख़्स इसका दावा करता है। फिर उसके शैख़ुल हदीस होने का क्या मतलब? हज़ारों हदीसें उसे याद नहीं होतीं और हज़ारों हदीसों के बारे में वह जानता नहीं, फिर भी उसे शैख़ुल हदीस कहा जाता है।

तो अगर बिलफ़र्ज़ हुज़ूर ﷺ को किसी वक़्त एक या दो बात का इल्म नहीं था, जैसा कि मुख़ालिफ़ीन का दावा है, तो ये हुज़ूर ﷺ की ग़ैब दानी के मुनाफ़ी नहीं है। इस मरतबे में ما كان وما يكون का इल्म दाख़िल नहीं।

दुसूरा मरतबा यह है कि कुल ما كان وما يكون और उलूमे ख़मसा बशमूल इल्मे क़यामत जानने का यह मरतबा हुज़ूर ﷺ को नुज़ूल-ए-क़ुरआन की तकमील के साथ हासिल हुआ।

जिन मुमकिनात का वुजूद न अब तक हुआ और न आइन्दा होगा यानी जो अज़लन और अबदन मअदूम हैं, वह "ما كان وما يكون" में दाख़िल नहीं। और न ही इस में मुम्तनआत (मुहाल चीज़े) दाख़िल हैं और न ही बारी तआला की ज़ात व सिफ़ात दाख़िल हैं।

यानी हमारा अक़ीदा यह नहीं कि हुज़ूर ﷺ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और उसकी तमाम सिफ़ात को मुकम्मल तौर से जानते हैं या अल्लाह तबारक व तआला की हक़ीक़त "कमा हक्काहु" जानते हैं।

अल्लाह عزوجل की ज़ात व सिफ़ात के बारे में हमारा अक़ीदा यह है कि हुज़ूर ﷺ को अल्लाह عزوجل की ज़ात व सिफ़ात का जितना इल्म है, उसके मुक़ाबिल में तमाम मख़लूक़ात, हत्ता कि अंबियाए किराम के मजमूई इल्म को भी वह नस्बत नहीं जो क़तरे को समुंदर से और ज़र्रे को पूरी दुनिया के रेगिस्तान से है।

मगर इसके बावजूद हुज़ूर ﷺ का इल्म अल्लाह عزوجل की ज़ात व सिफ़ात को घेरे हुए नहीं है, इस लिये कि हुज़ूर ﷺ का इल्म कसीर दर कसीर और वसी दर वसी होने के बावजूद "मुतनाही" (महदूद) है और अल्लाह عزوجل की ज़ात व सिफ़ात "ग़ैर मुतनाही" (ग़ैर महदूद) हैं।

जिसको मज़ीद तफ़सील दरकार है वह अद-दौलतुल मक्कीया और ख़ालिसुल एतिक़ाद वग़ैरह देख ले।
(मुलख़्ख़सन: नुज़हतुल क़ारी, नाशिर: रज़वी किताब घर, जि. 2, स. 315-316)

इख़्तियाराते मुस्तफा ﷺ

अल्लाह ही का ज़ाती इख़्तियार

तमाम उम्मते मुस्लिम का मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि ज़िन्दा करना, शिफ़ा देना, तन्दरुस्त करना, बिनाई अ़ता करना और हर तरह की क़ुदरती तसर्रुफ़ात का हक़ीक़ी व ज़ाती इख़्तियार सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह عزوجل के पास है। इसमें कोई दूसरा शरीक नहीं।

लेकिन यह भी हक़ीक़त है कि अल्लाह तआला ने अपने बाज़ बरगुज़ीदा बन्दों को इज़्न व इख़्तियार अ़ता फ़रमाया, जिसके ज़रिये वो उमूर बज़ा लाए जिनका ज़ाती इख़्तियार सिर्फ़ अल्लाह को है। यानी अल्लाह के हुक्म व इजाज़त से वो भी मुर्दों को ज़िन्दा करते हैं, बीमारों को शिफ़ा देते हैं और दूसरों को बिनाई अ़ता करते हैं।

क़ुरआन करीम की गवाही

अल्लाह तआला ने हज़रत ईसा علیہ السلام के मोअजिज़ात का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया:

أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ

(आल–ए–इमरान, आयत 49)

तर्जमा: "मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिन्दे की सूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूँक मारता हूँ तो वह परिन्दा हो जाता है अल्लाह के हुक्म से, और मैं मादरज़ाद कोढ़ (पैदाइशी कोढ़ के मरीजों को) को तन्दुरुस्त करता हूँ, और मैं मुर्दों को ज़िन्दा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से।"

वहाबियों का मेअयार-ए-शिर्क और उसका रद्द

सवाल यह है कि:

- "मैं परिन्दे को ज़िन्दा करता हूँ"
- "मैं मरीज़ों को शिफ़ा देता हूँ"
- "मैं मुर्दे ज़िन्दा करता हूँ"

यह अल्फ़ाज़ हज़रत ईसा عليه السلام ने ख़ुद फ़रमाए, और यह क़ुरआन में मौजूद हैं। इस पर ईमान रखना फ़र्ज़ है। लेकिन वहाबियों के अक़ीदे के मुताबिक़ अगर किसी ग़ैरुल्लाह को "ज़िन्दा करने वाला, शिफ़ा देने वाला" कहा जाए तो वह शिर्क है, चाहे उसे अल्लाह की अ़ता व इज़्न से ही क्यों न माना जाए जैसा कि इस्माईल दहलवी ने अपनी तक़्वीयतुल ईमान में लिखा है।

तो उनके नज़रिये से तो हज़रत ईसा عليه السلام (मआज़ अल्लाह) मुशरिक ठहरे इसलिए कि वो कह रहे हैं:

"मैं परिन्दे को ज़िन्दा करता हूँ"
"मैं मरीज़ों को शिफ़ा देता हूँ"
"मैं मुर्दे ज़िन्दा करता हूँ"

अगर उनकी बात मानी जाए तो क्या कोई मुशरिक अल्लाह का नबी बन सकता है? معاذالله ثم معاذالله हरगिज़ नहीं। जब यह नबी के लिए शिर्क नहीं तो उम्मती के लिए क्योंकर शिर्क ठहरा?

नबी करीम ﷺ की बशारत

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:
"मुझे अपनी उम्मत पर शिर्क का ख़ौफ़ नहीं है।"
(मुसनद ए अहमद, हाकिम)

यानी उम्मते मुहम्मदिया ﷺ कभी शिर्क पर जमा नहीं हो सकती। अब वहाबी अक़ीदे के मुताबिक़ तो इस आयत (आल-ए-इमरान 49) पर ईमान लाने वाली पूरी उम्मत मुशरिक हो गई।

अगर पूरी उम्मत मुशरिक नहीं है (और यक़ीनन नहीं है) तो फिर वहाबियों का फ़तवा ही बातिल और कुफ़्र है।

"काफ़िर" कहने का अन्जाम

हज़ूर ﷺ ने फ़रमाया: "जो किसी मुसलमान को काफ़िर कहे, तो दोनों में से एक ज़रूर काफ़िर होता है।" (सहीह मुस्लिम)

अब अगर वहाबी उम्मते मुस्लिम को मुशरिक और काफ़िर कहते हैं तो या तो पूरी उम्मत काफ़िर हुई (जो नामुमकिन है, क्योंकि नबी ﷺ ने उम्मत को शिर्क से महफ़ूज़ रहने की बशारत फरमाई) या फिर ख़ुद वहाबी काफ़िर हैं कि उन्होंने सारी उम्मत को काफ़िर कहा।

दोहरा मेअयार

यह भी उनकी अजीब ख़ियानत है कि जब पहले के अंबिया-ए-किराम عليهم السلام की बात आती है तो वहाँ शिर्क याद नहीं आता, लेकिन जब हज़ूर ﷺ और आपकी उम्मत के औलिया व सालिहीन का ज़िक्र होता है तो फ़ौरन शिर्क और बिदअत के फ़तवे लगने लगते हैं।

हालाँकि शिर्क का मेअयार बदलता नहीं:

जो चीज़ नबी के लिए शिर्क है वही उम्मती के लिए भी शिर्क होगी।

और जो चीज़ नबी के लिए शिर्क नहीं, वो उम्मती के लिए भी शिर्क नहीं।

नतीजा

इस आयत से अयां और वाज़ेह हुआ कि अल्लाह की अता व इज़्न से ग़ैरुल्लाह मसलन अंबिया और औलिया बीमार को शिफा दे सकते हैं और मुर्दों को ज़िन्दा कर सकते हैं।

लिहाज़ा जो लोग यह कहते हैं कि अंबिया व औलिया के लिए इख़्तियारात मानना शिर्क है, उनका यह क़ौल बातिल व गलत है।

अहकामे दीन और इख़्तियारात-ए-मुस्तफ़ा ﷺ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास رضی اللہ تعالیٰ عنہما से मर्वी है, फ़रमाते हैं:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ! كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ

(मिश्कातुल मसाबिह, हिस्सा: 2, स. 774)

तर्जमा: रसूलुल्लाह ﷺ ने हमसे ख़िताब फ़रमाया और कहा: ऐ लोगो! तुम पर हज फ़र्ज़ किया गया। यह सुनकर हज़रत अक़राअ बिन हाबिस खड़े हो गए और अर्ज़ की: या रसूलुल्लाह ﷺ! क्या हर साल हज फ़र्ज़ है? हज़ूर ﷺ ने फ़रमाया: **अगर मैं "हाँ" कह दूँ तो हो जाएगा** और अगर हर साल फ़र्ज़ हो गया तो तुम उसे अदा नहीं कर पाओगे और न ही तुममें उसकी ताक़त है। हज एक ही मरतबा फ़र्ज़ है और जो इससे ज़्यादा अदा करे तो वह नफ़्ल है।

मालूम हुआ कि हज़ूर नबी-ए-अकरम ﷺ को तशरीअ इख़्तियारात हासिल है।

सहाबा, ताबेईन और अइम्मा का अक़ीदा

क़ुरआन मजीद ने हज़ूर ﷺ के मालिक व मुख़्तार होने की ख़बर दी। अहादीस मुबारका से भी इसका कई तौर पर सुबूत मिलता है।

यह अक़ीदा सिर्फ़ अवाम का नहीं बल्कि बड़े-बड़े अहल-ए-इल्म हज़रात – सहाबा में :

- हज़रत अली,
- हज़रत अबू हुरैरा,
- हज़रत रबीआ बिन कअब,
- हज़रत जाबिर,
- हज़रत बराअ बिन आज़िब,
- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास,
- हज़रत उक्बा बिन आमिर वग़ैरहुम رضی اللہ تعالیٰ عنہم

का भी यही अक़ीदा है और इस ताल्लुक़ से उनसे अहादीस भी मरवी हैं।

ताबेईन में हज़रत मुजाहिद, हज़रत सईद बिन जुबैर,

और इसी तरह तबे ताबेईन, अइम्मा मुज्तहिदीन – इमाम बुख़ारी, इमाम मुस्लिम, इमाम जलालुद्दीन सुय्यूती, इमाम इब्ने माजा, हज़रत मुल्ला अली क़ारी, अल्लामा इस्माईल हक़्क़ी, हज़रत इमाम नववी वग़ैरहुम رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین का भी साबितशुदा अक़ीदा है।

इस अक़ीदे को नाजायज़ व हराम कहना और इसके मानने वालों पर कुफ़्र व शिर्क का फ़तवा लगाना सिर्फ़ क़लम ही नहीं बल्कि सलफ़ व ख़लफ़ पर तअन व तशनीअ, उनकी अज़मत व बुज़ुर्गी पर हमला है। और इसके साथ-साथ तमाम मुसलमानों पर कुफ़्र व शिर्क का फ़तवा लगाना भी होगा। जबकि पूरी उम्मत शिर्क पर जमा नहीं हो सकती। तो उन्हें चाहिये कि अपने ईमान की फ़िक्र करें।

रोज़ा तोड़ने के कफ़्फ़ारे और इख़्तियार-ए-नबी ﷺ

शरीअत का हुक्म यह है कि अगर कोई शख़्स जान-बूझ कर रोज़ा तोड़ दे तो उस पर कफ़्फ़ारा देना लाज़िम आता है। कफ़्फ़ारे की सूरत यह है कि: सबसे पहले एक गुलाम आज़ाद करे। अगर यह मुमकिन न हो तो मुसलसल साठ रोज़े पे-दर-पे रखे। अगर इसकी भी इस्तिताअत (capacity) न रखता हो तो साठ मिस्कीनों को दो वक़्त का पेट भर कर खाना खिलाए। ये तीन ही सूरतें हैं, इनके अलावा चौथी कोई सूरत नहीं।

लेकिन अल्लाह तआला ने अपने महबूब, सरकार-ए-दो आलम ﷺ को यह ख़ास इख़्तियार अ़ता फ़रमाया है कि आप ﷺ जिस के लिये चाहें उसका कफ़्फ़ारा मुआफ़ फ़रमा दें।

हदीस-ए-मुबारक:

हज़रत अबू हुरैरा رضی اللہ تعالیٰ عنہ रिवायत करते हैं कि एक शख़्स नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़गुज़ार हुआ :

- "या रसूलल्लाह! मैं हलाक हो गया।"
- आप ﷺ ने फ़रमाया: "क्या हुआ?"
- उसने कहा: "मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हम-बिस्तरी कर ली है।"
- आप ﷺ ने फ़रमाया: "क्या तुम्हारे पास कोई गुलाम है जिसे आज़ाद कर सको?"
- उसने कहा: "नहीं।"
- आप ﷺ ने फ़रमाया: "क्या साठ दिन मुसलसल रोज़े रख सकते हो?"
- उसने कहा: "नहीं।"

- आप ﷺ ने फ़रमाया: "साठ मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो?"
- उसने कहा: "नहीं।"
- इसी दौरान रसूलुल्लाह ﷺ के पास खजूरों का एक टोकरा लाया गया। आप ﷺ ने फ़रमाया: "वो कहाँ हैं जो सवाल कर रहे थे?"
- उसने कहा: "मैं हाज़िर हूँ।"
- आप ﷺ ने फ़रमाया: **"ये खजूरें लो और बतौरे कफ़्फ़ारा सदक़ा कर दो।"**
- उसने अर्ज़ किया: "या रसूलल्लाह! मदीना की इन दोनों बस्तियों के दरमियान मुझ से ज़्यादा फ़क़ीर कोई नहीं।"
- ये सुनकर नबी करीम ﷺ इतना मुस्कुराए कि आपके दन्दान-ए-मुबारक ज़ाहिर हो गये और फ़रमाया:
  "ठीक है, ये खजूरें अपने ही घर वालों को खिला दो।"

(सहीह अल-बुख़ारी)

वाज़ेह नुक़ता

यहाँ यह बात वाज़ेह रहे कि अगरचे सरकार ﷺ ने उस ऐराबी को खजूरों का मालिक बनाया और उसने उन्हें अपने अहल-ए-ख़ाना को खिला दिया, मगर यह सिर्फ़ ज़ाहिरी सदक़ा नहीं था बल्कि हक़ीक़त में नबी करीम ﷺ ने उस पर से कफ़्फ़ारा साक़ित फ़रमा दिया।

इस लिये कि कफ़्फ़ारा सिर्फ़ तीन ही शक्लों में मुमकिन था और वो किसी भी सूरत की ताक़त नहीं रखता था। ऐसी हालत में कफ़्फ़ारा मुआफ़ फ़रमाना आप ﷺ के इख़्तियार की दलील है।

फ़ुक़हा की वज़ाहत

फ़ुक़हा ने यह भी वाज़ेह किया है कि अगर कोई शख़्स साठ रोज़े शुरू करे और दरमियान में एक दिन भी नाग़ा हो जाये तो फिर से पूरे साठ रोज़े रखने होंगे, अलबत्ता अगर औरत को हैज़ के दिनों की वजह से नाग़ा हो तो वो शुमार नहीं होगा बल्कि पहले और बाद के रोज़े मिला कर कफ़्फ़ारा अदा हो जायेगा। (बहारे शरीअत, हिस्सा 5)

नतीजा

ग़रज़, शरीअत के मुक़र्रर किये गये उसूल अपनी जगह हैं, मगर अल्लाह तआला ने अपने महबूब ﷺ को यह शर्फ़ व इख़्तियार अ़ता फ़रमाया है कि आप ﷺ जिस हुक्म में चाहें तख़्फ़ीफ़ फ़रमा दें और जिसे चाहें कफ़्फ़ारा अदा करने से बरी फ़रमा दें। यही है "इख़्तियार-ए-नबी"।

और यहीं हमारे यहाँ ईमान है जबकि वहाबियों के यहाँ शिर्क है, इंसाफ आपको करना है।

सीरत व खसाईस ए मुस्तफ़ा ﷺ के ताबिन्दा नुकूश

हसब व नसब की बुलंदी और नूर-ए-मुस्तफ़ा ﷺ

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब, सैय्यदुल अंबिया, ख़ातमुन्नबीयीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा ﷺ को हर एतिबार से बरग़ज़ीदा और बे-मिसाल बनाया। आप ﷺ की ज़ाते-गिरामी न सिर्फ़ अख़लाक़ व कमालात में सबसे बुलंद है बल्कि आप का नसब-ए-मुबारक, ख़ानदान, जाए-पैदाइश और तख़्लीक़ के मराहिल भी ऐसी अज़मतों के हामिल हैं जिनकी कोई नज़ीर नहीं मिलती।

नसब-ए-मुबारक की अज़मत

रसूल-ए-अकरम ﷺ का तअल्लुक़ बनी हाशिम से था, जो क़ुरैश का सबसे मुअज्ज़ज़ और शरीफ़ुन्नसब ख़ानदान था। और क़ुरैश पूरे अरब में सबसे आला व बरतर क़बीला तस्लीम किया जाता था। इस तरह आप ﷺ अपनी ज़ात, ख़ानदान और क़बीला हर पहलू से सबसे ज़्यादा शरफ़ व बज़ुर्गी वाले हुए।

आप ﷺ का फ़रमान है :

"अल्लाह तआला ने मख़लूक़ को पैदा फ़रमाया तो मुझे सबसे बेहतर ज़माने में रखा। फिर क़बाइल में से सबसे बेहतर क़बीले में रखा। फिर घरों में से सबसे बेहतर घर में रखा। पस मैं अपनी ज़ात और अपने घराने के एतिबार से सबसे अफ़ज़ल हूँ।" (जामेअ तिरमिज़ी)

मक्का मुकर्रमा की फ़ज़ीलत

रसूलुल्लाह ﷺ की जाए-विलादत मक्का मुकर्रमा है, जो अल्लाह तआला के नज़दीक सबसे ज़्यादा अज़मत वाला शहर है। यही वह शहर है जहाँ खाना-ए-काबा वाक़े है, जिसे अल्लाह तआला ने मरकज़-ए-हिदायत और मुक़ाम-ए-अमन बनाया। क़ुरआन करीम में अल्लाह तआला ने इसे "उम्मुल क़ुरा" फ़रमाया। हज़ूर ﷺ की विलादत और परवरिश इसी शहर में होना आप के शरफ़ व कमाल को मजीद वाज़ेह करता है।

नूर-ए-मुस्तफ़ा ﷺ

हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास رضي الله تعالى عنهما रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मैं अल्लाह तआला के नज़दीक एक नूर था, जो हज़रत आदम عليه السلام की पैदाइश से दो हज़ार साल पहले बारगाह-ए-इलाही में मौजूद था। ये नूर अल्लाह तआला की तसब्बीह करता रहा और फ़रिश्ते भी इसी के साथ तसब्बीह करते रहे। जब अल्लाह तआला ने हज़रत आदम عليه السلام को पैदा फ़रमाया तो इस नूर को उनके सुल्ब में रखा। फिर मुझे हज़रत आदम से हज़रत नूह के सुल्ब में मुन्तक़िल फ़रमाया, फिर हज़रत इब्राहीम के सुल्ब में रखा। यूँ मैं पाकीज़ा असलाब और ताहिर अर्हाम में मुन्तक़िल होता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने मुझे मेरे वालिदैन करीमैन, हज़रत अब्दुल्लाह और हज़रत आमिना के पाकीज़ा वजूद से ज़ाहिर फ़रमाया। मेरे आबा व अजदाद में कभी भी ज़िना या नजासत का शाइबा न हुआ।" (मुसतदरक लिल हाकिम)

इस रिवायत से साबित हुआ आप ﷺ के वालिदैन करीमैन मुवहिद और मोमिन थे।

हज़रत अब्बास رضي الله تعالى عنه का क़सीदा

इस हक़ीक़त की गवाही ख़ुद हज़ूर ﷺ के चचा, हज़रत अब्बास رضي الله تعالى عنه ने अपने क़सीदे में दी, जब उन्होंने बारगाह-ए-अक़दस ﷺ में अरज़ किया : "या रसूलल्लाह! आप वह नूर हैं जिससे दुनिया रोशन हुई, और आप वह हिदायत हैं जिससे लोग सीधी राह पाते हैं। आप का नसब सबसे पाकीज़ा है और आप की विलादत सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ घरों में हुई है।" (सीरत उन नबविया)

जामेअ ख़ुलासा

- हज़ूर ﷺ का वजूद-ए-अक़दस सबसे पहले नूर की सूरत में तख़्लीक़ हुआ।
- ये नूर पाकीज़ा असलाब व ताहिर अर्हाम में मुन्तक़िल होता रहा।
- आप ﷺ के आबा व अजदाद कभी शिर्क, कुफ़्र या ज़िना के क़रीब तक न गए।
- आप ﷺ का क़बीला और ख़ानदान सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और पाकीज़ा था।
- आप ﷺ का ज़माना सबसे अफ़ज़ल क़रार पाया।
- और आप ﷺ की जाए-विलादत सबसे ज़्यादा मुक़द्दस और मुहत्तरम शहर, मक्का मुकर्रमा बनी।

यूँ अल्लाह तआला ने अपने महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा ﷺ को हर पहलू से सबसे बुलंद, सबसे पाकीज़ा और सबसे बरगुज़ीदा बनाया, ताकि दुनिया जान ले कि आप ﷺ ही तमाम जहान के लिए रहमत व अज़मत का सरचशमा हैं।

सीरत-ए-मुस्तफ़ा ﷺ में फ़ितरी पाकीज़गी और अख़लाक़ी बुलंदी

अल्लाह तआला ने अपने महबूब, रहमत-ए-दो आलम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा ﷺ को बचपन से ही हर बुराई और मासीयत से महफ़ूज़ रखा। आप ﷺ की ज़ात-ए-गिरामी की पाकीज़गी और अख़लाक़ी बुलंदी ऐसी थी कि जाहिलीयत की किसी रस्म या गुनाह का तसव्वुर भी आप ﷺ के क़रीब न आया।

जाहिलीयत की बुराइयों से फ़ितरी नफ़रत

रसूलुल्लाह ﷺ ने इरशाद फ़रमाया:

"मुझे बुतों, गाने बजाने और लहव व लअब की महफ़िलों से पैदाइशी नफ़रत थी। मैंने कभी उनका इरादा नहीं किया। सिर्फ़ दो मर्तबा दिल उधर मायल हुआ लेकिन अल्लाह तआला ने मुझे बचा लिया, और फिर मैंने उनकी तरफ़ कभी तवज्जो नहीं की।" (अश्शिफा क़ाज़ी अयाज़)

यूँ अल्लाह तआला ने आप ﷺ को बचपन ही से पाकीज़ा फ़ितरत और महफ़ूज़ किरदार अता फ़रमाया।

क़ुरआन करीम में अख़लाक़-ए-मुस्तफ़ा ﷺ

अल्लाह तआला ने क़ुरआन मजीद में अपने महबूब ﷺ के अख़लाक़ व किरदार को इस नजमे क़ुरआन व अल्फ़ाज़ में बयान फ़रमाया:

﴿وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ﴾

तर्जमा : और बेशक तुम यक़ीनन अज़ीम अख़लाक़ पर हो। (सूरतुल क़लम: 4)

﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى﴾

तर्जमा: तुम्हारे साहिब न बहके, न बे-राह चले। (सूरतुन्नज्म: 2)

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ﴾

तर्जमा : मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, हाँ अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों में पिछले। (सूरतुल अहज़ाब: 40)

ये आयात बताती हैं कि अल्लाह तआला ने अपने महबूब ﷺ को इब्तिदा ही से हिदायत, इस्मत और आला अख़लाक़ पर फ़ाइज़ फ़रमाया।

अंबिया-ए-किराम के अख़लाक़ी कमालात

क़ाज़ी अयाज़ علیہ الرحمہ लिखते हैं:

"अल्लाह तआला ने अपने अंबिया को उनकी पैदाइश ही से पाकीज़गी, इस्मत और ख़साइल-ए-हमिदा अता फ़रमाए ताकि वे अपनी उम्मतों के लिए कामिल नमूना बन सकें।" (अश्शिफा)

बचपन के बाद अंबिया علیھم السلام की शान और भी बढ़ जाती है। अल्लाह तआला के इनआमात व अनवार उन पर बराबर नाज़िल होते हैं, उनके क़ुलूब मआरिफ़त-ए-इलाही से जगमगा उठते हैं और वे रुश्द व हिदायत के कामिल मुक़ाम तक पहुँच जाते हैं।

चूँकि अल्लाह तआला ने उन्हें नुबूवत के लिए मुन्तख़ब कर लिया है, इस लिए बग़ैर किसी रियाज़त और मेहनत के ही वे अख़लाक़ी कमालात और ख़साइल-ए-हमिदा के बुलंद तरीन मुक़ाम पर फ़ायज़ होते हैं।

ख़ुलासा

- रसूलुल्लाह ﷺ की फ़ितरत पैदाइशी तौर पर पाकीज़ा और गुनाहों से महफ़ूज़ थी।
- आप ﷺ को जाहिलीयत के तमाम बुरे आमाल और रुसूम से अल्लाह तआला ने बचा रखा।
- क़ुरआन करीम ने आप ﷺ के अख़लाक़ को "خُلُقٍ عَظِيمٍ" से ताबीर फ़रमाया।
- अंबिया-ए-किराम के अख़लाक़ व औसाफ़ अल्लाह तआला की अ़ता से कामिल और बे-मिसाल होते हैं।
- अच्छे अख़लाक़ कभी फ़ितरत से और कभी रियाज़त व तर्बियत से हासिल होते हैं, लेकिन अंबिया-ए-किराम को ये औसाफ़ इब्तिदा ही से कामिल अ़ता फ़रमाए गए।

नतीजा

ये हक़ीक़त रोज़-ए-रोशन की तरह अयां हो जाती है कि सरवर-ए-कायनात ﷺ की ज़ात-ए-गिरामी हर पहलू से फ़ितरी पाकीज़गी, अख़लाक़ी कमाल और इलाही हिफ़ाज़त का हसीन मजमूआ है, जिसकी शाहदत क़ुरआन-ए-मजीद, अहादीस-ए-मुबारका और कुतुब-ए-सीरत ख़ुसूसन किताबुश्शिफा में तफ़सील से मौजूद है।

अदल व अमानत-ए-मुस्तफ़ा ﷺ

रसूलुल्लाह ﷺ की हयाते-तय्यिबा में सबसे नुमायां औसाफ़ में अदल, अमानत, इफ़्फ़त और सिद्क़ शामिल हैं। ऐलान-ए-नुबूवत से पहले भी मक्का के लोग आप ﷺ को "अल-अमीन" और "अस्सादिक़" कहा करते थे। आप के मुख़ालिफ़ीन भी इस हक़ीक़त का

एतराफ़ करते थे कि आप ﷺ ने कभी झूट नहीं बोला और न ही अमानत में ख़यानत फ़रमाई।

क़ाज़ी अयाज़ عليه الرحمه लिखते हैं कि अल्लाह तआला ने अपने महबूब ﷺ को तमाम अख़लाक़-ए-फ़ाज़िला का मजमूआ बनाया, इसी वजह से आप ﷺ को "अमीन" कहा जाता है। अक्सर मुफ़स्सिरीन ने क़ुरआन-ए-मजीद की आयत:

﴿مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِيْنٍ﴾

वहाँ उसका हुक्म माना जाता है, (वह) अमानतदार है। (सूरतुत-तक़्वीर: 21) (الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ج 1، ص 207)

अदल व इंसाफ़

ख़ाना-ए-काबा की तामीर के वक़्त जब हजरे-असवद को रखने के मसले पर क़ुरैश में इख़्तिलाफ़ हुआ तो सब ने आप ﷺ के फ़ैसले को क़बूल किया, और आप ﷺ ने निहायत हिकमत व अदल से तनाज़ुअ ख़त्म फ़रमाया।

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अगर मैं इंसाफ़ न करूँ तो कौन करेगा?" (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सुल्ह)

हज़रत आइशा सिद्दीक़ा رضي الله تعالى عنها फ़रमाती हैं :

"आप ﷺ जब भी दो चीज़ों में से इंतिख़ाब करते तो आसान को पसंद फ़रमाते बशर्ते कि उस में गुनाह न हो, और अगर उस में गुनाह होता तो सबसे ज़्यादा बचने वाले आप ﷺ ही होते।"

(अशिफ़ा, ज 1, स 209)

अमानत व सिद्क़

हज़रत अली کرم اللہ وجہہ الکریم की रिवायत के मुताबिक़ क़ुरैश के दुश्मन भी एतराफ़ करते थे कि "मुहम्मद ﷺ ने कभी झूट नहीं बोला। अबू जहल ने साफ़ कहा था:

"हम आप ﷺ को झूटा नहीं कहते, बल्कि हम अल्लाह की आयात को झुटलाते हैं।"

इस पर क़ुरआन नाज़िल हुआ:

فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

(सूरतुल अनआम: 33)

क़ैसर-ए-रूम हिरक़ल ने जब अबू सुफ़यान से हज़ूर ﷺ के हालात पूछे तो सबसे पहला सवाल यही किया:

"क्या आप ﷺ ने कभी झूट बोला है?"

अबू सुफ़यान ने माना: "नहीं, कभी नहीं!" (सहीह बुख़ारी)

ख़ुलासा

- रसूलुल्लाह ﷺ ऐलान-ए-नुबूवत से पहले भी अमीन व सादिक़ के लक़ब से मशहूर थे।
- मुख़ालिफ़ीन भी मानते थे कि आप ﷺ ने कभी झूट नहीं बोला।
- आप ﷺ ने हर मौक़े पर अदल व इंसाफ़ का मुज़ाहरा किया, यहाँ तक कि दुश्मन भी गवाही देते थे।
- क़ुरआन व हदीस और तारीख़ सब आप ﷺ की सिद्क़ व अमानत के रोशन दलाइल पेश करते हैं।

हवाला :

क़ाज़ी अयाज़, अश्शिफ़ा बि-तआरीफ़ि हुक़ूक़िल-मुस्तफ़ा, ज 1, स 207-210, दारुल-कुतुबुल-इल्मिय्या। सहीह बुख़ारी, किताबु बद्अल-वही व किताबुस्सुल्ह। सूरतुल अनआम: 33, सूरतुत-तक्वीर: 21।

बाब : रसूलुल्लाह ﷺ के औसाफ़-ए-हमीदा

(वक़ार, सुकूत, संजीदगी, मुरव्वत और हुस्न-ए-सुलूक)

1. मजलिसी नशिस्त

- रसूलुल्लाह ﷺ मजलिस में सबसे ज़्यादा बावक़ार नज़र आते।
- आप की नशिस्त में सुकून, संजीदगी और जमाल नुमायां होता।
- कभी जानुओं के गिर्द हाथ डाल कर, कभी चार जानू, और कभी जानुओं को पेट से मिला कर बैठते।
- सहाबा-ए-किराम رضي الله تعالىٰ عنهم बारगाह-ए-मुस्तफ़ा ﷺ में निहायत अदब व सुकून के साथ बैठते, गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे हों।

2. सुकूत व ख़ामोशी

- आम तौर पर आप ﷺ ख़ामोश रहते और बे-फ़ायदा गुफ्तुगू न फ़रमाते।
- आप ﷺ की ख़ामोशी चार वुजुह पर मबनी थी: हिल्म, एहतियात, तदबीर और तफ़क्कुर।
- जब कलाम फ़रमाते तो आप का बयान निहायत वाज़ेह और मुरत्तब होता।
- आप ﷺ की गुफ्तुगू इतनी साफ़ और आहिस्ता होती कि गिनने वाला आप के कलिमात शुमार कर लेता।

3. कलाम की शान

- आप ﷺ का कलाम हमेशा बामक़सद और हिकमत से भरपूर होता।
- लग़्व, बेहूदा या बे-मक़सद बात आप की आदत से कोसों दूर थी।
- सहाबा-ए-किराम आप की ज़बान-ए-अक़दस से निकलने वाले मोती चुनने की तरह बहुत ध्यान से सुनते।

4. मुरव्वत व हुस्न-ए-सुलूक

- आप ﷺ नरम-ख़ू और ख़ुश अख़लाक़ थे।
- न किसी पर आवाज़ बुलंद करते, न इल्ज़ाम तराशी फ़रमाते।
- किसी की दिल-आज़ारी आप की मजलिस में मुमकिन न थी।
- आप की महफ़िल इल्म, ख़ैर और अदब का मरकज़ थी।

5. चाल व अंदाज़

- चलते वक़्त क़द्रे आगे को झुके रहते, गोया किसी बुलंदी से नीचे उतर रहे हों।
- आप ﷺ का चलना मुतवाज़िन, पुर-वक़ार और उजलत व सुस्ती से पाक होता।
- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضي الله تعالیٰ عنه फ़रमाते हैं: "रसूलुल्लाह ﷺ की चाल सबसे ज़्यादा हसीन थी।"

6. आदात-ए-तय्यिबा

आप ﷺ को ख़ुश्बू से मुहब्बत थी और कसरत से इस्तेमाल फ़रमाते। मिस्वाक़, सफ़ाई और ख़िसाल-ए-फ़ितरत की सख़्त ताक़ीद

फ़रमाते। खाने-पीने में फूँक मारने से मना फ़रमाते और अपने सामने से खाने की तालीम देते।

फ़रमायाः

"दुनिया की चीज़ों में से मुझे औरत और ख़ुश्बू महबूब की गई है, लेकिन मेरी आँखों की ठंडक नमाज़ में है।"

ख़ुलासा

रसूलुल्लाह ﷺ की पूरी हयाते-तय्यिबा वक़ार, सुकूत, हिल्म, इफ़्फ़त और हुस्न-ए-अख़लाक़ का आईना-दार थी।

आप का सुकूत इल्म व हिकमत से लबरेज़, आप का कलाम रुश्द व हिदायत का सरचशमा, और आप की मजलिस अदब व मआरिफ़त का गहवारा थी।

हवाला जात

इमाम क़ाज़ी इयाज़, अश्शिफ़ा बि-तआरीफ़ि हुक़ूक़िल-मुस्तफ़ा, ज 1, स 210 ता 220।

सहीह बुख़ारी व अहादीस, ब-हवाला अश्शिफ़ा।

रसूलुल्लाह ﷺ की तवाज़ु व इन्किसारी

रसूल-ए-अकरम ﷺ की हयाते-तय्यिबा में सबसे नुमायां वस्फ़ तवाज़ु और इन्किसारी है। आप ﷺ सय्यिदुल मुरसलीन और अशरफ़ुल मख़लूक़ात हैं, लेकिन इस अज़मत व रिफ़अत के बावजूद आप की ज़िंदगी आज़िज़ी, सादगी और क़नाअत का कामिल नमूना थी।

सादा ज़िंदगी

हज़रत आइशा सिद्दीक़ा رضي الله تعالیٰ عنها फ़रमाती हैं: "बसा औक़ात महीनों हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। हमारा गुज़ारा सिर्फ़ खजूर और पानी पर होता था।" (किताबुश्शिफा, लिल क़ाज़ी अयाज़)

आप ﷺ ने कभी शिकम-सेरी को पसंद न फ़रमाया और फ़ाक़ा को दुनियावी आसाइश पर तरजीह दी।

बिस्तर व आराम

आप ﷺ का बिस्तर खजूर के पत्तों की बनी चटाई थी जिसके निशानात मुबारक जिस्म पर पड़ जाते।

हज़रत हफ़्सा رضي الله تعالیٰ عنها ने एक मर्तबा नरम बिस्तर बिछा दिया तो फ़रमाया: "ये बिस्तर आज मुझे नमाज़-ए-तहज्जुद से रोकने लगा, इसे पहले की तरह तह (समेट) कर दो।" (किताबुश्शिफा, लिल क़ाज़ी अयाज़)

ख़ुराक़ में क़नाअत

रसूलुल्लाह ﷺ ने खाने-पीने में कभी तकल्लुफ़ को पसंद न फ़रमाया। न अमीरों की तरह दस्तरख़्वान पर बैठे, न छोटी प्यालियों में खाने का एहतिमाम किया। सादा खाने खाते और लज़्ज़त से हमेशा इजतिनाब फ़रमाया।

दुनिया से बे-रग़बती

हज़रत जिबरईल عليه السلام ने अर्ज़ किया: "अगर आप चाहें तो पहाड़ सोने का कर दिया जाए जो आप के साथ-साथ रहे।"

आप ﷺ ने फ़रमाया:

"दुनिया तो उस का घर है जिस का कोई घर नहीं, और उस का माल है जिस के पास कोई अक़्ल नहीं।" (किताबुश्शिफा, लिल क़ाज़ी अयाज़)

अहल-ए-बैत और फ़ाक़ा

आप ﷺ और आप के अहल-ए-बैत कई रातें भूखे गुज़ारते। हज़रत आइशा رضي الله تعالىٰ عنها ने एक मर्तबा अर्ज़ किया कि कम-से-कम इतना तो खा लीजिए कि भूख की शिद्दत खत्म हो जाए। आप ﷺ ने फ़रमाया: "आइशा! मुझे दुनिया से क्या तअल्लुक़? मेरे भाई अंबिया-ए-किराम ने भी सब्र और फ़ाक़ा के साथ ज़िंदगी गुज़ारी और अल्लाह तआला ने उन्हें बड़े अजर से नवाज़ा। मुझे उन के साथ मुनासिबत ज़्यादा महबूब है।" (किताबुश्शिफा, लिल क़ाज़ी अयाज़)

ख़ुलासा

रसूलुल्लाह ﷺ की हयाते-तय्यिबा तवाज़ु, क़नाअत और सादगी का आईना है।

आप ﷺ ने दुनियावी नेमतों को ठुकरा कर उम्मत को ये सबक़ दिया कि असल इज़्ज़त और शरफ़ दुनियावी जाहा-ओ-हशमत में नहीं बल्कि सब्र, ज़ुह्द और तवाज़ु में है।

हवाला

इमाम क़ाज़ी अयाज़ मालिकी, अश्शिफ़ा बि-तआरीफ़ि हुक़ूक़िल-मुस्तफ़ा ﷺ।

जमाल-ए-मुस्तफ़ा ﷺ

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब-ए-मुकर्रम ﷺ को सरापा हुस्न व जमाल का पैकर बनाया। आप ﷺ की ज़ात-ए-गिरामी में हुस्न-ए-सूरत और हुस्न-ए-सीरत का ऐसा इम्तिजाज था कि निगाहें ठहर जाती थीं और दिल मुसख़्ख़र हो जाते थे।

क़ाज़ी इयाज़ मालिकी علیہ الرحمہ ने अश्शिफ़ा में आप के जमाल-ए-अक़दस की जो तफ़सील बयान फ़रमाई है, वह कुछ यूँ है:

क़द व क़ामत

आप ﷺ न बहुत ज़्यादा दराज़-क़द थे और न ही पस्त-क़ामत; बल्कि दरमियाना क़द थे। जब किसी मज्मे में तशरीफ़ फ़रमा होते तो सबसे नुमायां नज़र आते।

रंग व नूरानियत

आप ﷺ का रंग न बिल्कुल सफ़ेद था और न ज़्यादा गंदुमी, बल्कि नूर-आलूद गुलाबी सफ़ैदी थी जिस में दिल-आवेज़ शीरीनी झलकती थी। यही वह रंग था जिसे अरबी में अब्यद मशरब कहा जाता है।

मुए मुबारक

आप ﷺ के बाल न बिल्कुल घुंघरियाले थे न बिल्कुल सीधे, बल्कि नरम, ख़ुश-रंग और क़ुदरती अंदाज़ में संवरें रहते। अगर बढ़ जाते तो शानों तक पहुँच जाते और अगर कटवाते तो कानों की लो तक होते।

चेहरा-ए-अनवर

आप ﷺ का चेहरा गोलाई लिए हुए, ताबिंदा और चमकदार था। नूर ऐसा कि गोया सूरज की किरणें रुख़-ए-अनवर से फूट रही हों।

आँखें और अब्रू

आप ﷺ की आँखें बड़ी, सियाह और दिलकश थीं, जिन की सफ़ैदी में हल्की सुरख़ी की झलक हुस्न को दोबाला करती थी। अब्रू बारीक, क़ोस-नुमा और मिले हुए थे मगर बीच में हल्की सी कुशादगी पाई जाती थी।

बीनी (नाक) व दहन

बीनी (नाक) मुबारक लंबी और क़द्रे उभरी हुई थी जो रुख़्सारों के हुस्न को जिला देती। दहन-ए-मुबारक कुशादा था, कलिमात-ए-हक़ जब लबों से निकलते तो दिलों पर असर कर जाते। दाँत मुबारक यकसां चमकदार और ख़ुशनुमा थे, सामने के दाँतों में हल्का सा फ़ासिला था जो तबस्सुम को और भी दिलनशीं बना देता था।

सीना व शिकम

आप ﷺ का सीना कुशादा और शिकम-ए-मुबारक बिल्कुल बराबर था, आगे को निकला हुआ न था। सीने से नाफ़ तक एक बारीक लकीर की तरह बाल मुबारक थे, बाक़ी सीना व शिकम साफ़ और नूरानी था।

दस्त व बाज़ू

हाथ नरम व कुशादा थे मगर मज़बूत, कलाईयाँ गुठलीदार और उंगलियाँ लंबी व ख़ुश-तराश थीं। हथेली पर-गोश्त और सख़ावत की अलामत थी।

क़दम-ए-मुबारक

क़दम-ए-अक़दस दरमियाने और सीधे थे, तलवे हल्के से उभरे हुए और साफ़, गोया हुस्न व तवाज़ुन का मुजस्समा। आप ﷺ जब चलते तो तेज़ी के साथ मगर वक़ार के साथ।

सरापा हुस्न व जमाल

हज़रत उम्मे मअबद رضي الله تعالیٰ عنها ने फ़रमाया: "आप ﷺ सरापा ऐसे थे कि जो देखता, मबहूत हो जाता। आप की ख़ूबसूरती और वजाहत ऐसी थी कि किसी की नज़र फिसलती न थी।" (किताबुश्शिफा, लिल क़ाज़ी अयाज़)

ख़ुलासा

- यूँ लगता है कि तमाम काइनात के हुस्न को चुन-चुन कर अल्लाह तआला ने अपने महबूब ﷺ के वजूद-ए-अक़दस में जमा कर दिया।
- आप ﷺ के जमाल को अल्फ़ाज़ में समेटना मुमकिन नहीं, मगर क़ाज़ी अयाज़ عليه الرحمه ने बजा फ़रमाया:

  "रसूलुल्लाह ﷺ सरापा जमाल, सरापा कमाल और सरापा जलाल हैं।" (किताबुश्शिफा)

शफ़ाअत और मुक़ाम-ए-महमूद

1. मुक़ाम-ए-महमूद की हक़ीक़त

अल्लाह तआला ने अपने महबूब ﷺ को क़यामत के दिन एक अज़ीम मंसब अता फ़रमाना है जिसे मुक़ाम-ए-महमूद कहा जाता है। क़ुरआन करीम में इरशाद है:

﴿عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا﴾

यानी "क़रीब है कि तुम्हें तुम्हारा रब ऐसी जगह खड़ा करे जहाँ सब तुम्हारी हम्द करें।" (बनी इसराईल : 79)

ये वही शफ़ाअत-ए-कुबरा है जिसमें तमाम मख़लूक़ हज़ूर ﷺ की बारगाह में आएगी और आप ही अल्लाह तआला के हज़ूर सिफ़ारिश फ़रमा कर हिसाब का आग़ाज़ करवाएँगे।

2. शफ़ाअत-ए-कुबरा (सबसे बड़ी शफ़ाअत)

क़यामत के दिन लोग अंबिया-ए-किराम के पास सिफ़ारिश की दरख़्वास्त ले कर जाएँगे, मगर हर नबी माज़रत करेंगे। आख़िर में सब हज़ूर-ए-अकरम ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर होंगे। आप ﷺ बारगाह-ए-इलाही में सज्दा करेंगे, फिर अल्लाह तआला फ़रमाएगा : "ऐ मुहम्मद! अपना सर उठाओ, कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, शफ़ाअत करो तुम्हारी शफ़ाअत क़बूल की जाएगी।"

यही सबसे बड़ी शफ़ाअत है और यही आप का मुक़ाम-ए-महमूद है। (सहीह बुख़ारी, सहीह मुस्लिम)

3. दीगर अक़्साम-ए-शफ़ाअत

क़ाज़ी अयाज़ عليه الرحمه ने बयान किया कि हज़ूर ﷺ की शफ़ाअत मुख़्तलिफ़ सूरतों में ज़ाहिर होगी :

अहले कबाइर की बख़्शिश कराएंगे।

अहले जन्नत के दर्जात बुलंद कराएंगे।

जन्नत में दाख़िला जल्द मिलने के लिए।

अहले नार में से बअज़ को नजात दिलाने के लिए।

अहले तौहीद को दोज़ख़ से छुड़ाने के लिए।

4. शफ़ाअत पर दलाइल

क़ुरआन मजीद:

﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى﴾

तर्जमा : और बेशक क़रीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। (अद-दुहा: 5)

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى﴾

तर्जमा: और शफ़ाअत नहीं करते मगर उसके लिए जिसे वह पसंद फ़रमाए। (अल-अंबिया: 28)

अहादीस-ए-मुबारिका :

"मेरी शफ़ाअत मेरे गुनाहगार उम्मतियों के लिए है।" (तिरमिज़ी, अबू दाऊद)

हर नबी के लिए एक दुआ है जिस दुआ को अल्लाह तआला ने क़ुबूल कर लिया है और मेरे लिये भी मक़बूल दुआ है जिसको मैंने अपने लिए और अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए मुन्तख़ब और महफ़ूज़ कर रखा है। सहाबा-ए-किराम ने अर्ज़ किया: या रसुलुल्लाह ﷺ वह क्या है तो आक़ा ﷺ ने फरमाया: मेरी शफाअत मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए है।

5. उम्मत के लिए बशारत

रसूलुल्लाह ﷺ बार-बार उम्मत की बख़्शिश की दुआ फ़रमाएँगे यहाँ तक कि इरशाद होगा : "ऐ मुहम्मद! बस अब काफ़ी है, तुम्हारी उम्मत के हक़ में तुम्हारी सिफ़ारिश क़बूल कर ली गई है।" (सहीह मुस्लिम)

6. अहले सुन्नत का अक़ीदा

- शफ़ाअत हज़ूर ﷺ का ख़ास्सा और यक़ीनी हक़ीक़त है।
- मुन्किरीन-ए-शफ़ाअत गुमराह हैं।
- उम्मते-मुहम्मदिया ﷺ के लिए ये सबसे बड़ी ख़ुशख़बरी है कि रसूल-ए-रहमत ﷺ उनके लिए क़यामत के दिन शफ़ाअत फ़रमाएँगे।

ख़ुलासा

क़ाज़ी अयाज़ عليه الرحمه की किताब अश्शिफ़ा की इस फ़स्ल से ये हक़ीक़त वाज़ेह होती है कि : मुक़ाम-ए-महमूद दरअसल शफ़ाअत-ए-कुबरा का अज़ीम मंसब है। शफ़ाअत की मुख़्तलिफ़ सूरतें हैं और ये हज़ूर ﷺ का इम्तियाज़ है। क़ुरआन व हदीस से शफ़ाअत के मुतअल्लिक़ बहुत सारी दलीले मौजूद है।

अहले सुन्नत का इज्माई अक़ीदा है कि हज़ूर ﷺ अपनी उम्मत के गुनाहगारों के लिए शफ़ाअत फ़रमाएँगे।

मीलादुन्नबी ﷺ का बयान

मीलाद का लुग़वी माना

मीलाद पैदा होने की जगह या वक़्त को कहते हैं।

लिसानुल अरब में है: وَمِيْلادُ الرَّجُلِ : اسْمُ الْوَقْتِ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ

तर्जमा: मीलाद उस वक़्त को कहते है जिसमें इंसान की पैदाइश हुई।

मीलाद का उर्फी माना:

महफिले मीलाद में किए जाने वाले उमूर :

- तिलावते क़ुरआन ए करीम
- हम्दे इलाही व ज़िक्रे ख़ुदावन्दी
- नाते रसूल ﷺ
- बिअसते नबवी (पैदाइश के वक़्त के हालात) का तज़किरा और औसाफ व कमालात का बयान।
- सीरते मुस्तफा
- दीनी, तब्लीग़ी मौज़ुआत पर ख़िताब
- ज़िक्रे नेअमते विलादत
- सलात व सलाम ब हालते क़याम (खड़े होकर हुज़ूर ﷺ पर सलात व सलाम पढ़ना)
- दुआ
- हाज़िरीन को खाना खिलाना

मिलादुन्नबी के बारे में अहले सुन्नत व जमाअत का अक़ीदा:

अहले सुन्नत व जमाअत के नज़दीक हुज़ूर सय्यिदे आलम ﷺ की विलादते बा सआदत सबसे बड़ी नेअमत है। जब कोई नेअमत मिलती है तो उस पर खुशी का इज़हार फितरी अमर है, इसीलिए अहले सुन्नत मिलाद शरीफ की महाफिल मुनअक़िद करते है। इन महाफिल में ऊपर ज़िक्र किए गए तमाम उमूर का एहतिमाम किया जाता है। ये सब जायज़ व मुस्तहसन, ख़ैर व बरकत और बाइसे सवाब हैं।

इमामे अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़ादरी عليه الرحمه फरमाते है : "मीलाद शरीफ मनाना मुस्तहसन (अच्छा) है, इसमें क़ुरआन मजीद की तिलावत, ज़िक्रे ख़ुदा व ज़िक्रे रसूल ﷺ और खाना खिलाने के सिवा कुछ नहीं होता, और ये सब कारे ख़ैर हैं और क़ुर्बे इलाही का ज़रिया है।" (फतावा रज़विया जि.23, स.119)।

अहले सुन्नत के मुखालिफीन का अक़ीदा

इसके बर खिलाफ अहले सुन्नत के मुखालिफीन मीलाद शरीफ को ग़ैर शरई और बिदअ़त क़रार देते हैं। इनके चंद अक़्वाल मुलाहिज़ा हों :

मौलवी अबु याहया मुहम्मद शाहंजापूरी (वहाबी आलिम) का कहना है: "मजलिसे मीलाद शरीफ, क़याम वग़ैरह बिदअ़त व शिर्क है।"

मौलाना अबुल आला मौदूदी लिखते है: ये त्यौहार जिसे हादी ए इस्लाम ﷺ से मन्सूब किया जाता है, हक़ीक़त में इस्लामी त्यौहार ही नहीं। इसका कोई सबूत इस्लाम में नहीं मिलता। हत्ता कि सहाबा ए किराम ने भी इस दिन को नहीं मनाया। सद अफसोस कि इस दिन को दिवाली और दशहरे की शक्ल दे दी गई है।

खुलासा-ए-तक़ाबुल

अहले सुन्नत का मौक़िफ : मीलाद शरीफ महब्बते रसूल ﷺ के इज़हार और नेअमते विलादत पर शुक्राने का ज़रिया है। ये जायज़, मुस्तहसन और बाइसे सवाब है।

मुख़ालिफीन का मौक़िफ : मीलाद शरीफ बिदअ़त, शिर्क और ग़ैर इस्लामी त्यौहार है, जिसका इस्लाम में कोई सबुत नहीं।

अब आइये हम शरीअत की रोशनी से देखे किसका अक़ीदा क़ुरआन व अहादीस के ऐन मुताबिक़ और किसका मुख़ालिफ है।

क़ुरआनी आयात से मिलादुन्नबी ﷺ का सुबूत :

क़ुरआन ए मुक़द्दस में बाज़ अहकाम व मसाइल सराहत के साथ मज़कूर है और बाज़ अहकाम की तरफ इशारात व दलालात मौजूद है। उलमा ए उसूल का क़ाइदा है الأصل في الأشياء الإباحة हर चीज़ अपनी असल के एतबार से जायज़ व हलाल है, जब तक कि उसके नाजायज़ व हराम होने पर कोई वाज़ेह दलील न आ जाए। "इसी उसूल के तहत मीलादे मुस्तफा ﷺ को देखना चाहिए। अगर क़ुरआन ए मुक़द्दस को बारीक बीनी से पढ़ा जाए तो ये हक़ीक़त खुल कर सामने आती है कि नबी ए अकरम ﷺ की विलादत बा सआदत का ज़िक्र और उस पर खुशी मनाना क़ुरआन ए मजीद से साबित और बाइसे बरकत व सवाब है।
यहाँ चंद आयाते क़ुरआनिया इस पर बतौरे दलील पेश की जाती है:

आयत 1: हुज़ूरे अकरम ﷺ की विलादत, अल्लाह का सबसे बड़ा अहसान:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ﴾

तर्जमा : बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर कि उनमें, उन्हीं में से एक रसूल भेजा। (अल इमरान: 164)

इस आयत से मालूम हुआ कि रसूलअल्लाह ﷺ की बिअसत, मोमिनीन पर अल्लाह का सबसे अज़ीम एहसान है। जब अल्लाह तआला ने ख़ुद इस एहसान को जताया तो गोया हमें ये सबक़ दिया कि इस नेअमत पर इज़हारे मसर्रत करना मोमिनों का शेवा है। और सबसे बड़ी नेअमत पर सबसे ज़्यादा खुशी का इज़हार करना चाहिए।

आयत 2: नेअमत का चर्चा करने का हुक्म

﴿وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾

तर्जमा: और अपने रब की नेअमत का ख़ूब चर्चा करो। (सुरह अल दुहा: 11)

जब ये तय हो गया कि रसूल अल्लाह ﷺ की आमद सबसे बड़ी नेअमत है तो क़ुरआन के इस हुक्म के तहत इस नेअमत का ज़िक्र, चर्चा, ताअरीफ और तज़किरा करना लाज़िम व महबूब हुआ। और यही काम महाफिले मीलाद में होता है कि रसूले अकरम ﷺ की सीरत, अख़लाक़, मोजिज़ात और फज़ाइल बयान किये जाते है। इस तरह मीलाद मनाना ऐन हुक्मे इलाही की तामील है ना की शिर्क या बिदअत।

आयत 3: मीलादे मुस्तफा पर खुशी मनाना क़ुरआन से साबित

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْاؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ﴾

तर्जमा: तुम फ़रमाओ: अल्लाह ही के फ़ज़्ल और उसी की रहमत पर, और उसी पर चाहिए कि ख़ुशी करें – वह उनके सब धन-दौलत से बेहतर है। (सुरह युनुस: 58)

मुफस्सिरीन के मुताबिक़ "فَضْلِ اللهِ" से मुराद नबी ए करीम ﷺ की ज़ात ए अक़दस है और "رَحْمَتِهٖ" से मुराद क़ुरआन या ख़ुद आप ﷺ हैं। जैसा कि क़ुरआन में है: ﴿وَ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ﴾ (अल अंबिया: 107) यानी अल्लाह के फ़ज़्ल व रहमत पर खुशी मनाने का हुक्म ख़ुद क़ुरआन ने दिया और आप ﷺ अल्लाह का फ़ज़्ल और रहमत दोनों है। लिहाज़ा मीलादे मुस्तफा पर खुशी मनाना हुक्मे इलाही के ऐन मुताबिक़ है। मज़ीद हज़रत बेज़ावी عليه الرحمه फरमाते है: وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ بِإِرْسَالِ الرَّسُوْلِ وَإِنْزَالِ الْكِتَابِ (तफ्सीरे बेज़ावी, जि.2 स.87) तर्जमा: अल्लाह का फ़ज़्ल रसूल को भेजना है और अल्लाह की रहमत किताब को नाज़िल फरमाना है। यानी रसूले अकरम ﷺ का दुनिया में तशरीफ लाना ही अल्लाह का सबसे बड़ा फ़ज़्ल व रहमत है।

आयते मज़कूर में फज़ल व रहमत पर खुशी मनाने का हुक्म दिया और ईद का माना भी खुशी मनाना है, इसीलिए हम इसे खुशी और ईद का दिन कहते है।

आयत 4: सबसे पहली महफिले मीलाद

मीलादुन्नबी ﷺ की महफिल सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद अंबिया ए किराम عليهم السلام के दरमियान सजाई, जिसमें सबसे अज़ीम ज़िक्र "फज़ाइले मुस्तफा ﷺ" था।

﴿وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِیْثَاقَ النَّبِیّٖنَ لَمَاۤ اٰتَیْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنْصُرُنَّهٗ﴾

तर्जमा: और याद करो जब अल्लाह ने पैग़म्बरों से उनका अहद लिया कि जो मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूँ, फिर आए तुम्हारे पास वह रसूल जो तुम्हारी किताबों की तसदीक़ फ़रमाए, तो तुम ज़रूर-ज़रूर उस पर ईमान लाना और ज़रूर-ज़रूर उसकी मदद करना। (आले इमरान: 81)

येह आयत वाज़ेह करती है कि अल्लाह तआला ने सबसे पहली महफिले मीलाद का इनिक़ाद किया जिसमें तमाम अंबिया ए किराम से रसूले अकरम ﷺ पर ईमान लाने और उनकी नुसरत व हिमायत का अहद लिया गया। गोया मीलादे मुस्तफा ﷺ का चर्चा सबसे पहले अल्लाह ने किया, फिर अंबिया ए किराम عليهم السلام ने किया।

रसूलुल्लाह ﷺ ने खुद अपना मीलाद पढ़ा जैसा कि हदीसे सहीह में वारिद है। रहमते आलम ﷺ ने फरमाया मैं अल्लाह की बारगाह में खातमुन्नबिय्यीन लिखा हुआ था और बेशक हज़रत عليه السلام आब व गिल की मंज़िल में थे और अनक़रीब मैं तुमको अपने पहले मामले की खबर दूंगा, मैं हज़रते इब्राहीम عليه السلام की दुआ हूं, हज़रत ईसा عليه السلام की बशारत हूं, और मेरी माँ का वो ख्वाब हूं जिसको उन्होंने देखा जिस वक़्त उन्होंने मुझे जना तहक़ीक़ के मुताबिक़ उनके जिस्मे नाज़ से एक ऐसा नूर निकला जिससे मुल्के शाम के महल्लात रौशन हो गए।

ख़ुलासा:

- बिअसते मुस्तफा ﷺ सबसे बड़ी नेअमत है। (आले इमरान : 164)
- नेअमत का चर्चा करने का हुक्म अल्लाह ने दिया। (अल दुहा: 11)
- इस नेअमत पर खुशी मनाने का हुक्म है। (सुरह युनुस: 58)
- सबसे पहली महफिले मीलाद अल्लाह ने खुद सजाई। (आले इमरान: 81)

❖ लिहाज़ा ये बात उसूली व क़ुरआनी दलाइल से साबित हुई कि मीलादुन्नबी ﷺ मनाना जायज़, बाइसे बरकत और बाइसे सवाब है, बल्कि हुक्मे इलाही पर अमल करना है।

महफिले मीलाद शरीफ का जवाज़ व इस्तेहसान किताब व सुन्नत के दलाइल की रोशनी में

महफिले मीलाद शरीफ की असल किताब व सुन्नत और आसारे सहाबा से साबित है। अगरचे मुरवज्जा सूरत बिअयनिही दौरे नबवी में नहीं पाई जाती, लेकिन उसकी बुनियाद रखने वाले तमाम उमूर (तिलावते क़ुरआन, ज़िक्रुल्लाह, नातख़्वानी, सीरतुन्नबी का बयान, दुरूद व सलाम, दुआ, खाना खिलाना) क़ुरआन व सुन्नत से साबित व जायज़ और मुस्तहसन है।

महफिल क़ायम करने की पहली दलील

सुन्नते हसना का तसव्वुर

रसूले अकरम ﷺ ने फरमाया: مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ (सहीह मुस्लिम, जि.1, स.328)

तर्जमा : जिसने इस्लाम में कोई नेक सुन्नत जारी कि, तो उसके लिए इस सुन्नत का सवाब है और जो लोग बाद में इस पर अमल करेंगे, उन सबके सवाब का भी अज्र उसको मिलेगा, बग़ैर उसके कि अमल करने वालो के अज्र में कमी हो।

पस महफिले मीलाद चूंकि कई नेक आमाल पर मुश्तमिल है, लिहाज़ा ये यक़ीनन सुन्नते हसना के ज़ुमरे में शामिल है।

दूसरी दलीलः महफिले मीलाद के अजज़ा सब नेक आमाल है

महफिले मीलाद नीचे लिखे मुस्तहसन उमूर (कामों) पर मुश्तमिल होती हैः

- ❖ तिलावते क़ुरआन
- ❖ हम्दे इलाही और ज़िक्रे ख़ुदावन्दी
- ❖ नाते रसूले मक़बूल ﷺ
- ❖ विलादत व बिअसते मुस्तफा ﷺ का तज़किरा
- ❖ सीरतुन्नबी ﷺ का बयान
- ❖ दीनी व तब्लीग़ी खिताबात
- ❖ ज़िक्रे नेअमते विलादते मुस्तफा ﷺ
- ❖ क़याम की हालत में दुरूद व सलाम
- ❖ इज्तिमाई दुआ
- ❖ इतआम तआम (मेहमान नवाज़ी)
- ❖ आपस में मुसाफा करना।

तमाम उमूर क़ुरआन व हदीस के उमूम व इतलाक़ से साबित है। इसलिए महफिले मीलाद इन सब नेकियों का हसीन मजमुआ है।

अहादीसे मुबारका से मीलादे मुस्तफा ﷺ का सुबूत

मीलाद का शुक्राना

हज़रत अबु क़तादा رضی اللہ تعالیٰ عنہ रिवायत करते हैः रसूल अल्लाह ﷺ से पीर के दिन रोज़ा रखने के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ (सहीह मुस्लिम जि.2 स.819) तर्जमाः येह वो दिन है जिसमें मेरी विलादत हुई और इसी दिन मुझे मबऊस किया गया या मुझ पर वही नाज़िल हुई।

इस हदीस से वाज़ेह हुआ कि नबी ए अकरम ﷺ ने अपनी विलादत के दिन को याद रखा और शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखा, यही मीलाद की असल है।

जैसा कि सहीह बुखारी की हदीसे सहीह है कि जब अबु लहब मर गया तो हज़रत अब्बास رضی اللہ تعالیٰ عنہ के ख़्वाब में आया तो हज़रत अब्बास رضی اللہ تعالیٰ عنہ ने पूछा कि अल्लाह तआला ने तेरे साथ क्या सलूक किया? तो उसने कहा कि हर वक़्त अज़ाबे इलाही में गिरफ्तार रहता हूं मगर पीर (सोमवार) के दिन अज़ाब में तख़फीफ कर दी जाती है जिस दिन रसूले पाक ﷺ की विलादत बा सआदत हुई तो मेरी लौण्डिया शोएबा ने आकर के रसूले पाक ﷺ की विलादत की खुशखबरी सुनाई तो जिस उंगली के इशारे से मैंने मेरी लौण्डी शोएबा को आज़ाद किया तो उंगली के ज़रिए मुझे पानी दे दिया जाता है जिसको मैं पी लेता हूं, जिसकी वजह से अज़ाबे इलाही में तख़फीफ हो जाती है। (मफहूम-ए-हदीस)

ग़ौर कीजिए! अगर अबु लहब जैसे काफ़िर को सिर्फ मीलाद की ख़ुशी पर तख़फीफे अज़ाब नसीब हुई तो मोमिन जब ख़ुशी मनाएगा तो वोह ज़रूर अज़ीम इनामात का मुस्तहिक़ होगा। हाफिज़ शम्सुद्दीन दिमिश्क़ी رحمہ اللہ ने फरमाया : إِذَا كَانَ هَذَا كَافِرٌ جَاءَ ذَمُّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُ لِلسُّرُورِ بِأَحْمَدَ فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي طُولَ عُمْرِهِ بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا أَوْ مَاتَ مُوَحِّدًا (सबलुल हुदा वरिशाद) तर्जमा: जब काफ़िर अबु लहब मीलाद की ख़ुशी पर अज़ाब में तख़फीफ पाता है, तो मोमिन को क्या कुछ अ़ता होगा जो उम्र भर ख़ुशी मनाएं और ईमान पर दुनिया से रुख़सत हो।

सहाबा की मजलिसे मीलाद

हज़रत इब्ने अब्बास رضی اللہ تعالیٰ عنہما बयान करते है कि वोह अपने घर में रसूलअल्लाह ﷺ की विलादत के वाक़िआत बयान कर रहे थे और सहाबा हम्द व दुरूद पढ़ रहे थे। अचानक रसूलअल्लाह ﷺ तशरीफ लाएं और फरमाया "तुम्हारे लिए मेरी शफाअत हलाल हो गई।" (अद्दर्रुल मुनज़्ज़म) इससे मालूम हुआ कि मीलाद की मजलिस में हुज़ूर ﷺ की शफाअत नसीब होती हैं।

अहले मीलाद के लिए रहमत व मग़फिरत की बशारत

हज़रते अबु दर्दा رضی اللہ تعالیٰ عنہ रिवायत करते हैं कि रसूलअल्लाह ﷺ ने हज़रत आमिर अन्सारी के घर वालों को मीलाद बयान करते सुना और फरमाया "तुम्हारे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दिये गए और फरिश्ते तुम्हारे लिए इस्तग़फार कर रहे है, जो शख़्स तुम्हारी तरह मीलाद की महफिल करेगा, वोह भी निजात पाएगा।" (अद्दर्रुल मुनज़्ज़म)

हुज़ूर ﷺ का अपने फज़ाइल बयान फरमाना :

जामेअ तिर्मिज़ी में है कि सहाबा अंबिया ए किराम के फज़ाइल बयान कर रहे थे तो रसूलअल्लाह ﷺ तशरीफ लाए और अपने औसाफ व फज़ाइल ख़ुद बयान फरमाएं "मैं अल्लाह का हबीब हूं और कोई फख़्र नहीं, क़यामत के दिन लिवा ए हम्द मेरे हाथ में होगा और कोई फख़्र नहीं और मैं अव्वलीन व आख़रीन में सबसे ज़्यादा मुकर्रम हूं और कोई फख़्र नहीं।" (जामेअ तिर्मिज़ी जि.2 स.202)

यही मीलादुन्नबी का मक़सद हैं कि हुज़ूर ﷺ के फज़ाइल व मनाक़िब बयान किये जाएं।

खुलासा व नतीजा

- ❖ महफिले मीलाद "सुन्नते हसना" है और कई नेकियों का मजमुआ है।
- ❖ रसूलअल्लाह ﷺ ने अपनी विलादत के दिन को याद रखा और शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखा।
- ❖ अबु लहब जैसे काफ़िर को विलादत की ख़ुशी पर इनआम मिला, तो मोमिन को ज़रूर अज्रे अज़ीम मिलेगा।
- ❖ सहाबा ए किराम मीलाद का ज़िक्र करते और हुज़ूर ﷺ उन पर शफाअत व रहमत की बशारत अता फरमाते।
- ❖ हुज़ूरे अकरम ﷺ ने अपने फज़ाइल ख़ुद बयान फरमाए, और यही मीलाद की असल है।

ऐतराज़ 1: मीलाद न क़ुरआन से साबित है, न हदीस से, लिहाज़ा बिदअत और नाजायज़ है।

जवाब: हर चीज़ का हदीस में नाम लेना ज़रूरी नहीं, बल्कि इसका असल सबूत होना काफी है। हुज़ूर ﷺ की विलादत सबसे बड़ी नेअमत है, और क़ुरआन में है ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا﴾ (सुरह युनुस: 58) तर्जमा : "तुम फ़रमाओ: अल्लाह ही के फ़ज़्ल और उसी की रहमत पर, और उसी पर चाहिए कि ख़ुशी करें।"

ऐतराज़ 2: बिदअत गुमराही है, रसूलअल्लाह ﷺ ने फरमाया: كل بدعة ضلالة (हर बिदअत गुमराही है)।

जवाब: यहां कुल से मुराद सिर्फ बिदअते सय्यिआ है वरना क़ुरआन व सुन्नत से बिदअते हसना का वजूद साबित है। हदीस मुस्लिम शरीफ में है مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً (जो इस्लाम में अच्छा तरीक़ा जारी

करे उसे और उस पर अमल करने वालो को सवाब मिलेगा)। इमाम नववी رحمه الله: बिदअ़त 2 क़िस्म की है हसना और सय्यिआ। (तहज़ीब अल अस्मा)। लिहाज़ा मीलाद बिदअते हसना है, बिदअते सय्यिआ नहीं।

ऐतराज़ 3: सहाबा ए किराम व ताबईन ने मीलाद नहीं मनाया, तो आप क्यूं मनाते है?

जवाब: दीन में बेशुमार नेक काम सहाबा ने इज्तिमाई तौर पर नहीं किए मगर आज उम्मत करती है, जैसे क़ुरआन को एक जिल्द में जमा करना, तरावीह को बाजमाअत 20 रकअत पढ़ना, मदारिस व कुतुब खानो का क़याम, ये सब नए काम है मगर शरीअत में पसन्दीदा है, इसी तरह मीलादुन्नबी ﷺ का एहतिमाम बाद में शुरू हुआ मगर उसकी असल दलील क़ुरआन व हदीस में मौजूद है।

ऐतराज़ 4: मीलाद में जुलुस, लाइटिंग और फुज़ूल खर्ची होती है, इसलिए ये नाजायज़ है।

जवाब: अगर किसी जगह ग़लत रस्में या फज़ूल खर्चियां हो तो वोह ग़लत रुसूम नाजायज़ है ना कि मीलाद नाजायज़। मीलाद असल में है : सीरतुन्नबी ﷺ बयान करना, नात व दुरूद पढ़ना, सदक़ा व ख़ैरात करना, विलादते मुस्तफा ﷺ पर शुक्र अदा करना। ये तमाम आमाल बज़ाते खुद नेक है, नाज़ायज़ नहीं।,

ऐतराज़ 5: यहूदी व इसाई भी अपने अंबिया की सालगिरह मनाते है, क्या आप उनकी नकाली कर रहे है?

जवाब: हम उनकी नक़ल नहीं करते बल्कि अपने नबी ﷺ की विलादत की खुशी मनाते है, जो सबसे बड़ी नेअमत है। अगर खुशी मनाना

कुफ्र होता तो क़ुरआन खुद न कहता। فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا दरअसल मीलाद "शुक्राना" है, न कि कुफार से मुशाबहत।

खुलासा ए गुफ्तगु:

- ❖ मीलाद क़ुरआन व हदीस के उसूलों से साबित है।
- ❖ बिदअते हसना और सय्यिआ में फर्क़ है, मीलाद हसना है।
- ❖ सहाबा ने कई नेक काम इज्तिमाई सूरत में नहीं किए, उम्मत ने बाद में किए।
- ❖ मीलाद में असल मक़सूद सीरत व ज़िक्रे रसूलअल्लाह ﷺ है, असल नाजायज़ रुसूम अलग है।
- ❖ मीलाद दरअसल शुक्रे नेअमत है, मुशाबहते कुफार नहीं।

सवाल: इस्लाम में तो सिर्फ़ दो ही ईदें हैं, ये तीसरी ईद (मीलादुन्नबी ﷺ) कहाँ से ले आए?

जवाब: हर वह दिन जिसमें अल्लाह की ख़ास नेअमत नाज़िल हो, दरहक़ीक़त ईद का दिन होता है। क़ुरआन व हदीस से ये बात साबित है कि नेअमत मिलने वाले दिन को "ईद" क़रार देना शरीअत में पहले ही से मौजूद है।

जुमुआ भी ईद, अय्यामे तशरीक़ भी ईद है, अरफा का दिन भी ईद है। लिहाज़ा दो पर इक्तफा दुरुस्त नहीं।

1. हदीस इब्न अब्बास رضي الله تعالیٰ عنهما :

जब आयत "اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ" नाज़िल हुई तो एक यहूदी ने कहा: अगर ये आयत हम पर नाज़िल होती तो हम इसे ईद का दिन बना लेते।

इस पर हज़रत इब्न अब्बास رضي الله تعالیٰ عنهما ने फ़रमाया: ये आयत हमारे लिए दो ईदों (जुम्आ और अरफ़ा) के दिन नाज़िल हुई। (तिरमिज़ी)

इससे मालूम हुआ कि जुम्आ और अरफ़ा के दिन को भी "ईद" कहा जा सकता है।

2. आयते मायदा :

हज़रत ईसा عليه السلام ने दुआ की: ऐ रब! हम पर आसमान से एक ख़्वान नाज़िल फरमा ताकि वोह हमारे अगले पिछलो के लिए ईद हो (अल मायदा: 114)

मुफस्सिरीन फ़रमाते हैं कि मायदा नाज़िल होने के दिन को नसारा ने ईद क़रार दिया।

3. उलमा की वज़ाहत:

ईद का मतलब है "बार-बार आने वाली ख़ुशी और सुरूर"। लिहाज़ा जिस दिन अल्लाह तआला अपनी सबसे बड़ी नेअमत अ़ता फ़रमाए, उस दिन को ईद बनाना तरीक़-ए-सालिहीन है।

और सबसे बड़ी नेअमत तो ये है कि अल्लाह तआला ने हमें अपने महबूब ﷺ अ़ता फ़रमाए। इस लिए सरकार-ए-दो आलम ﷺ की विलादत का दिन सबसे बड़ी ईद है, और इसी दिन ख़ुशी व शुक्र बज़ा लाना, मीलाद पढ़ना और जश्न मनाना उम्मते मुस्लिम के लिए बाइसे-सआदत है।

ख़ुलासा:

इस्लाम में सिर्फ़ दो ईदें नहीं बल्कि हर वह दिन ईद है जिसमें अल्लाह की ख़ास रहमत व नेअमत व निशानी नाज़िल हो। चूँकि सय्यिदे

आलम ﷺ की आमद सबसे बड़ी रहमत है, इस लिए आप की विलादत मुबारक़ा का दिन सबसे बड़ी ईद है।

सवाल: रसूले आज़म ﷺ की विलादत मुबारका 9 रबीउल अव्वल को हुई और आप का विसाल 12 रबीउल अव्वल को हुआ। लिहाज़ा 12 रबीउल अव्वल को ख़ुशी मनाना तअज्जुब की बात है।

जवाब: इन्दत-तहक़ीक़ रसूले पाक ﷺ की विलादत बा सआदत बतारीख़ 12 रबिउल अव्वल ही है।

क्योंकि:

- ❖ इस्लाम ने हमें नेअमत मिलने पर ख़ुशी मनाने का हुक्म दिया है, न कि विसाल पर ग़म मनाने का।
- ❖ नबी करीम ﷺ की विलादत, अल्लाह तआला की सबसे अज़ीम नेअमत और सबसे बड़ी रहमत है।
- ❖ इसी लिए हम 12 रबीउल अव्वल को यौम-ए-मीलादुन्नबी ﷺ के तौर पर ख़ुशी मनाते हैं, जो कि रसूले पाक ﷺ का यौमे विलादत है।
- ❖ जैसा कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती عليه الرحمه ने वाज़ेह फ़रमाया कि नबी करीम ﷺ की विलादत पर ख़ुशी मनाना सुन्नत-ए-सालिहीन और बाइसे-अजर है।

तवस्सुल का बयान

अक़ाइदे अहले सुन्नत में से एक अहम अक़ीदा तवस्सुल बिल अंबिया व औलिया है जिसे आज कल के गुमराह फिरक़े शिर्क और बिदअ़त का नाम दे कर अवाम को गुमराह करते है।

तवस्सुल की हक़ीक़त : हक़ीक़त ये है कि तवस्सुल यानी अल्लाह तआला की बारगाह में दुआ मांगते वक़्त नबी करीम ﷺ या औलिया ए किराम के वसीले से दुआ करना यानी मख़लूक़ को सबब बनाते हुए अल्लाह के इज़्न से मदद तलब करना ही तवस्सुल है।

तवस्सुल के मुतअल्लिक़ अहले सुन्नत का अक़ीदा : अल्लाह तआला ही कामों को बनाने वाला और हक़ीक़ी तौर पर मुश्किलों को दूर करने वाला, किसी चीज़ में असर पैदा करने वाला है इसके सिवा कोई मुअस्सिर बिज़्ज़ात (ख़ुद से कामों में असर पैदा करने वाला) नहीं। अंबिया व औलिया और सालिहीन सिर्फ वसीला व ज़रिया है, असल फाइल और मोसिरे हक़ीक़ी अल्लाह ही है। तवस्सुल क़ुरआन, सुन्नत, और इज्माए उम्मत से साबित व मशरूअ है। अहले बातिल का सबसे बड़ा धोका ये है कि वो तवस्सुल को शिर्क कह कर बंदा ए ख़ुदा को खुदा के मुक़ाबिल ठहराते हैं, हालांकि यही फर्क़ अहले सुन्नत और मुशरिकीने मक्का में है। मुशरिकीन ने बुतों को मुस्तक़िल मुअस्सिर बिज़्ज़ात माना जबकि अहले सुन्नत अंबिया व औलिया को अब्दे खुदा मानते है और इनके वसीले को अल्लाह के हुक्म से नाफेअ समझते हैं। इसीलिए क़ुरआन व हदीस में हमें जगह जगह इसके दलाइल मिलते हैं कि नबी ए करीम ﷺ ने ख़ुद तवस्सुल सिखाया, सहाबा ने आप ﷺ के बाद भी आपके वसीले से दुआ की, और अइम्मा मुज्तहिदीन ने भी इसे जायज़ कहा। लिहाज़ा इस बयान में हम तीन पहलु पर तफ्सीली रोशनी डालेंगे।

1. असबाते तवस्सुल व इस्तिग़ासा क़ुरआन, हदीस, आसारे सहाबा और अक़वाले अइम्मा से।
2. अहले बातिल के ऐतराज़ात का रद्द कि तवस्सुल को शिर्क कहना किस क़द्र गुमराही है।
3. अहले सुन्नत का इज्मिाई मौक़िफ कि ये ऐन इस्लाम है और उम्मत के सलफ व ख़लफ का माअमुल।

तवस्सुल के क़ुरआनी दलाइल :

❖ अहले सुन्नत का अक़ीदा है कि तवस्सुल व इस्तिग़ासा क़ुरआन मजीद से साबित है, वसीला इख़्तियार करने का हुक्म अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया :

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ابْتَغُوْۤا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَ جَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾

तर्जमा : "ऐ ईमान वालों! अल्लाह से डरो और उसकी तरफ़ वसीला ढूँढो और उसकी राह में जिहाद करो इस उम्मीद पर कि फलाह पाओ।" (अल माइदा: 35) इस आयत में अल्लाह तआला ने वसीला तलाश करने का हुक्म दिया, यानी बन्दा जब दुआ या हाजत मांगे तो अल्लाह के मक़बूल बन्दों का या नेक आमाल का वसीला पेश करें, यही असल तवस्सुल है।

❖ हज़रत याक़ूब عليه السلام का वसीला क़ुरआन में है

﴿قَالُوْا يٰۤاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَاۤ اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕيْنَ ○ قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾

तर्जमा : "बोले: ऐ हमारे बाप! हमारे गुनाहों की माफ़ी माँगिए, बेशक हम ख़तावार हैं। कहा: जल्द ही मैं तुम्हारी बख़्शिश अपने रब से चाहूँगा, बेशक वही बख़्शने वाला, मेहरबान है।" (सुरह युसुफ: 97-98)

यहां वाज़ेह है कि हज़रत युसुफ عليه السلام के भाईयों ने ख़ुद बराहे रास्त अल्लाह से दुआ न मांगी बल्कि नबी से दरख़्वास्त की कि वोह हमारे लिए दुआ करे। ये तवस्सुल की बड़ी दलील है। इसी को तो तवस्सुल कहते है।

❖ आक़ा ए करीम ﷺ की ज़ाहिरी ज़िन्दगी व बादे विसाल में वसीला बनाने पर क़ुरआने पाक से सुबूत : अल्लाह तआला का फरमान हैं

﴿وَ لَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِیْمًا﴾

तर्जमा : "और अगर जब वे अपनी जानों पर ज़ुल्म करें तो ऐ महबूब तुम्हारे हज़ूर हाज़िर हों और फिर अल्लाह से माफ़ी चाहें और रसूल उनकी शफ़ाअत फ़रमाएँ तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा क़बूल करने वाला मेहरबान पाएँ।" (सुरह अन निसा: 64)

ये आयत सरीह दलील है कि गुनाहगारों के लिए रसूल अल्लाह ﷺ की बारगाह में आना और आपका वसीला बनाना मग़फिरत का ज़रिया है।

इस आयात के तहत मुफस्सिरीन ए किराम ने लिखा है कि : जाओ आपके पास (جَآءُوْكَ) आम है, ख़्वाह आप ﷺ की हयाते ज़ाहिरी हो या विसाल के बाद। इसके लिए सहाबा व ताबईन ने आप के रोज़ा ए अक़दस पर हाज़िर होकर दुआ मांगी और वसीला लिया। यही वसीला है ख़ुद ख़ुदा ने दरे मुस्तफ़ा का रास्ता दिखलाया।

❖ हज़रत आदम عليه السلام का नबी करीम ﷺ के वसीले से दुआ करना जैसा कि हदीस में है: जब हज़रत आदम عليه السلام से बतोर खता ए इज्तिहादी जो ज़ल्लत वाक़ेअ हुई तो अर्ज़ किया,

या अल्लाह! मुहम्मद ﷺ के वसीले से मेरी तौबा क़ुबूल फरमा। (अल मुस्तदरक लिल हाकिम) और ये वाक़िआ क़ुरआन की इस आयत की तफ्सीर है فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ (सुरह अल बक़रह: 37) इमाम सुयुती, इमाम सुबकी, और दीगर मुहद्दिसीन ने कहा कि كَلِمٰتٍ से मुराद नबी ए करीम ﷺ का वसीला है। ये सब क़ुरआनी दलाइल इस बात पर मुत्तफिक़ हैं कि वसीला इख़्तियार करना अल्लाह का हुक्म है, अंबिया व औलिया का वसीला शिर्क नहीं बल्कि हुक्मे खुदावन्दे कुद्दूस की तकमील है।

तवस्सुल के दलाइल अहादीसे नबवी ﷺ से :

क़ुरआन के बाद सबसे बड़ा माखज़ हदीसे रसूल ﷺ है। अहले सुन्नत ने तवस्सुल व इस्तिग़ासा के जवाज़ पर बीसों सहीह व हसन अहादीस पेश की हैं। चन्द अहम नुसुस मुलाहज़ा हों।

- हज़रत उस्मान बिन हनीफ رضی اللہ تعالیٰ عنہ की रिवायत (नाबिना का वसीला) नबी ए करीम ﷺ के पास एक नाबिना सहाबी हाज़िर हुए और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ﷺ! दुआ फरमाए कि अल्लाह मेरी बिनाई लौटा दे। आप ﷺ ने फरमाया वुज़ू करके दो रकअत नमाज़ पढ़ो और ये दुआ करो: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِي اللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ (सुनन तिरमिज़ी: 3578, सुनन इब्ने माजा: 1385)

सहाबी ने दुआ पढ़ी और फौरन उनकी बिनाइ वापस आ गई। ये हदीस ज़लीलुल क़द्र मुहद्दिसीन ने सहीह क़रार दी है। ये तवस्सुल व इस्तिग़ासा का सबसे वाज़ेह सबूत है। हुज़ूर ﷺ ने अपने वसीले से दुआ कराई इससे वाज़ेह और क्या सबूत चाहिए।

- हज़रत उमर फारूक़ رضی اللہ تعالیٰ عنہ का हज़रते अब्बास رضی اللہ تعالیٰ عنہ के वसीले से दुआ करना क़हत के ज़माने में हज़रते उमर رضی اللہ تعالیٰ عنہ ने दुआ की اَللّٰهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا (सहीह बुख़ारी: 1010) तर्जमा: ऐ अल्लाह! हम अपने नबी के वसीले से तुझसे बारिश मांगते थे तो हमें सेराब करता था, और अब हम नबी के चचा के वसीले से दुआ करते हैं और जब दुआ की तो मूसलाधार बारिश हुई।
- हदीस शरीफ़ में आता है कि एक नाबीना सहाबी ने हज़ूर अकदस ﷺ की ख़िदमत में आकर अपनी बिनाई का मुआमला पेश किया, आप ﷺ ने उनको ये कलिमात तालीम फ़रमाए:
  اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ
  तर्जमा: ऐ अल्लाह! मैं तुझ से सवाल करता हूँ और तेरे नबी **मुहम्मद ﷺ, जो नबी-ए-रहमत हैं, के वसीले से तेरी तरफ़ मुतवज्जेह होता हूँ।** (तिरमिज़ी, निसाई)
  यह रिवायत बिल्कुल वाज़ेह सुबूत है कि नबी करीम ﷺ का वसीला इख़्तियार करना और उनसे वसीले से दुआ करना न सिर्फ़ जाइज़ बल्कि मुस्तहब व मक़बूल अमल है।

ज़िक्र किए गए दलाइल से ख़ूब वाज़ेह हो गया अल्लाह वालों का वसीला बनाना जाइज़ व दुरुस्त ही नहीं बल्कि बाइसे ख़ैर व बरकत है।

इस्तिमदाद (इस्तिग़ासा) का बयान

अहले सुन्नत का मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है कि क़ायनात में हक़ीक़ी ख़ालिक़, मालिक और कारसाज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तआला की ज़ात ही है। ज़िन्दा करना, मारना, बीमारी दूर करना, तन्दुरुस्ती देना, नाबिना को बिनाई अ़ता करना, हाजत-रवाई और मुश्किल-कुशाई वग़ैरह तमाम उमूर अल्लाह عزوجل ही के इख़्तियार में हैं। अल्लाह के सिवा न कोई इन उमूर का मालिक है और न किसी को ज़ाती व हक़ीक़ी क़ुदरत हासिल है। अलबत्ता जिसको अल्लाह तआला अपने फ़ज़्ल व करम से इजाज़त और इख़्तियार अ़ता फ़रमा दे, वो अल्लाह के हुक्म और उसकी अ़ता से इन उमूर को अंजाम दे सकता है। इसी को अहले सुन्नत अ़ताई क़ुदरत अ़ताई तसर्रुफ़ कहते हैं, जो हक़ीक़त में अल्लाह ही की क़ुदरत का मज़हर व परतौ है।

अब हम नीचे इस्तिआनत और इस्तिमदाद का लुग़वी व इस्तिलाही माअना पेश करेंगे नीज़ जमाअते अहले सुन्नत और जमाअते वहाबिया के इस मुतअल्लिक़ अक़ाइद व नज़रियात पेश करेंगे फिर क़ुरआन व अहादीस की रोशनी में इस्तिआनत और इस्तिमदाद का हुक्मे शरई पेश करेंगे इससे ख़ूब ज़ाहिर होगा कि अहले सुन्नत व जमाअत का अक़ीदा व नज़रिया ऐन क़ुरआन व अहादीस के मुताबिक़ है।

इस्तिमदाद की लुग़वी ताअरीफ : लफ़्ज़ اَلْمَدَدْ से माख़ूज़ है, इसका मतलब है طلبُ المَدَد यानी मदद तलब करना।

इस्तिआनत की लुग़वी ताअरीफ : اَلْعَوْنُ से माख़ूज़ है, इसका मतलब है طلبُ العَون यानी सहारा या मदद चाहना।

अरबी ज़ुबान में बाब-ए-इस्तिफआल के अल्फ़ाज़ में "तलब" का माअना पाया जाता है। लिहाज़ा दोनों अल्फ़ाज़ का मफ़हूम है किसी से मदद या सहारा माँगना।

इस्तिआनत व इस्तिग़ासा के मुतअल्लिक़ अहले सुन्नत का मौक़िफ़

- हक़ीकी मददगार सिर्फ़ अल्लाह तआला है।
- अंबिया व औलिया अल्लाह के मुक़र्रब बंदे हैं, जो अल्लाह के इज़्न और अ़ता से बंदों की मदद फ़रमाते हैं।
- उनसे इस्तिग़ासा व इस्तिआनत ज़िन्दगी में हो या बाद-ए-विसाल -जाइज़ व दुरुस्त है।

इमाम जलालुद्दीन सुय्यूती علیہ الرحمہ फ़रमाते हैं:

التوسل بالنبي ﷺ مشروع وجائز، ومنكره مبتدع

तर्जमा : नबी करीम ﷺ के वसीले से दुआ करना जाइज़ है और इसका इनकार बिदअ़त है।

(الدر النضید فی الصلاۃ علی الحبیب، ص:121)

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान علیہ الرحمہ फ़रमाते हैं:

ग़ैरुल्लाह को मुस्तक़िल्ल बि-ज़्ज़ात (ख़ुद से) फ़रियाद-रस मानना शिर्क है, और अल्लाह के मुक़र्रबीन को باذنِ الٰہی वसीला बनाना ऐने ईमान है। (फतावा रज़विया शरीफ)

इस्तिआनत व इस्तिग़ासा के मुतअल्लिक़ वहाबी/देवबन्दी का अक़ीदा

ग़ैरुल्लाह से मदद माँगना कुफ़्र व शिर्क है।

(مجموعۃ التوحید، ص112)

अंबिया व औलिया आजिज़ और बेइख़्तियार हैं।
(تقویۃ الایمان، ص25)
ग़ैरुल्लाह को मददगार मानना अबू जहल के शिर्क के बराबर है।
(تقویۃ الایمان، ص8)

यही नहीं बल्कि अंबिया व औलिया की शान में गुस्ताख़ाना अल्फ़ाज़ (चूड़े चमार) इस्तेमाल किए गए।

क़ुरआन ए करीम से दलाइल

अल्लाह तआला ने हज़रत ईसा علیہ السلام के मोअजिज़ात का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया:

أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ

तर्जमा:

"मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिन्दे की सूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूँक मारता हूँ तो वह परिन्दा हो जाता है अल्लाह के हुक्म से, और मैं मादरज़ाद कोढ़ (पैदाइशी कोढ़ के मरीजों को) को तन्दुरुस्त करता हूँ, और मैं मुर्दों को ज़िन्दा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से।"
(आल-ए-इमरान, आयत 49)

वहाबियों का मियार-ए-शिर्क और उसका रद्द
सवाल यह है कि:
"मैं परिन्दे को ज़िन्दा करता हूँ"
"मैं मरीज़ों को शिफ़ा देता हूँ"
"मैं मुर्दे ज़िन्दा करता हूँ"

ये अल्फ़ाज़ हज़रत ईसा عليه السلام ने ख़ुद फ़रमाए, और यह क़ुरआन में मौजूद हैं, जिन पर ईमान रखना फ़र्ज़ है। लेकिन वहाबियों के अक़ीदे के मुताबिक़ अगर किसी ग़ैरुल्लाह को "ज़िन्दा करने वाला, शिफ़ा देने वाला" कहा जाए तो वह शिर्क है, जबकि अल्लाह तआला की अ़ता व इज़्न ही से माना जाए फिर भी उसको शिर्क मानते है। इस्माईल दहलवी ने अपनी तक़्वीयतुल ईमान में लिखा है।

तो उनके नज़रिये से तो हज़रत ईसा عليه السلام (मआज़ अल्लाह) मुशरिक ठहरे इसलिए कि वो कह रहे हैं:
"मैं परिन्दे को ज़िन्दा करता हूँ"
"मैं मरीज़ों को शिफ़ा देता हूँ"
"मैं मुर्दे ज़िन्दा करता हूँ"

नबी करीम ﷺ की बशारत

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया :
"मुझे अपनी उम्मत पर शिर्क का ख़ौफ़ नहीं है।"
(मुसनद ए अहमद, हाकिम)

यानी उम्मते मुहम्मदिया ﷺ कभी शिर्क पर जमा नहीं हो सकती। अब वहाबी अक़ीदे के मुताबिक़ तो इस आयत (आल-ए-इमरान 49) पर ईमान लाने वाली पूरी उम्मत मुशरिक हो गई।

अगर पूरी उम्मत मुशरिक नहीं है (और यक़ीनन नहीं है) तो फिर वहाबियों का फ़तवा ही बातिल और कुफ़्र है।

इस्तिआनत व इस्तिग़ासा के मुतअल्लिक़ अहादीस से दलाइल

إِنَّ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ سِوَى الْحَفَظَةِ يَكْتُبُونَ مَا يَسْقُطُ مِنْ وَرَقِ الشَّجَرِ، فَإِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ عَرْجَةٌ فِي الْأَرْضِ لَا يَقْدِرُ فِيهَا عَلَى الْأَعْوَانِ فَلْيَصِحْ، فَلْيَقُلْ: عِبَادَ اللّٰهِ، أَغِيثُونَا أَوْ أَعِينُونَا رَحِمَكُمُ اللّٰهُ، فَإِنَّهُ سَيُعَانُ، وفي لفظ آخر: إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يُسَمَّوْنَ الْحَفَظَةَ، يَكْتُبُونَ مَا يَقَعُ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَرَقِ الشَّجَرِ، فَمَا أَصَابَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَرْجَةٌ أَوِ احْتَاجَ إِلَى عَوْنٍ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَلْيَقُلْ: أَعِينُونَا عِبَادَ اللّٰهِ، رَحِمَكُمُ اللّٰهُ، فَإِنَّهُ يُعَانُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ، (رواه ابن شيبة في "المصنف)

तर्जमा : इमाम बैहक़ी عليه الرحمه ने शोअबुल ईमान में रिवायत किया है कि बेशक अल्लाह عزوجل के ऐसे फ़रिश्ते ज़मीन में हैं जो हिफ़ाज़त करने वाले फ़रिश्तों के अलावा हैं, वो दरख़्त के गिरने वाले पत्तों को भी लिखते हैं, पस जब तुम में से किसी को ज़मीन में ठोकर लगे और वहाँ किसी मददगार पर क़ादिर न हो तो वो ये कहे : " يَا عِبَادَ اللّٰهِ! أَغِيثُونَا أَوْ أَعِينُونَا، رَحِمَكُمُ اللّٰهُ" (ऐ अल्लाह के बंदो! हमारी मदद करो या हमें सहारा दो, अल्लाह तुम पर रहम करे) तो यक़ीनन उसकी मदद की जाएगी।

और एक दूसरी रिवायत में है कि बेशक अल्लाह तआला के ऐसे फ़रिश्ते ज़मीन में हैं जिन्हें "हिफ़ाज़त करने वाले" कहा जाता है, वो ज़मीन में गिरने वाली हर चीज़ यहाँ तक कि पत्तों को भी लिखते हैं, पस अगर तुम में से किसी को ठोकर लगे या बयाबान में किसी मदद की हाजत हो तो वो ये कहे: "أَعِينُونَا عِبَادَ اللّٰهِ، رَحِمَكُمُ اللّٰهُ" (ऐ अल्लाह के बंदो! हमारी मदद करो, अल्लाह तुम पर रहम करे) तो यक़ीनन उसे मदद दी जाएगी अगर अल्लाह चाहे, और इसे इमाम इब्ने अबी शैबा عليه الرحمه ने मुसन्नफ़ इबने अबी शेबा में भी रिवायत किया है।

सबक़: हदीसे मज़कूर से साबित हुआ कि अल्लाह के मुक़र्रब बन्दों से मदद मांगना जायज़ है और वो अल्लाह की अता से मदद भी फरमाते है।

अकाबिरीन-ए-इस्लाम का अमल

तारीख़-ए-इस्लाम पर नज़र डाली जाए तो मालूम होता है कि सहाबा-ए-किराम, ताबेईन-ए-इज़ाम और औलिया-ए-उम्मत ने हमेशा अल्लाह के बरगुज़ीदा बन्दों को वसीला बनाया और उनसे दुआ की दरख़्वास्त की।

जैसा कि हज़रत सय्यिदुना उमर फ़ारूक़ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ने क़हत के मौके पर हज़रत अब्बास رضی اللہ تعالیٰ عنہ के वसीले से दुआ की, जो बुख़ारी शरीफ़ में मौजूद है। इस से यह बात मज़ीद वाज़ेह हो जाती है कि वसीला और इस्तिमदाद सहाबा किराम व दीगर अकाबिरीन का मामूल है।

मुख़ालिफ़ीन का ऐतराज़

वहाबी और देवबन्दी यह एतराज़ करते हैं कि ग़ैरुल्लाह को पुकारना शिर्क है और अल्लाह के अलावा किसी से मदद माँगना तौहीद के मुनाफ़ी है। उनका कहना है कि बन्दे को बराए रास्त (Direct) अल्लाह से मदद माँगना चाहिये, किसी नबी या वली को वसीला न बनाए कि यह शिर्क है।

अहले सुन्नत का जवाब

अहले सुन्नत व जमाअत इस शुबह (शक) का यूँ जवाब देते हैं कि मुशरिकीन-ए-मक्का अपने बुतों को अल्लाह का शरीक समझकर पूजते थे और उनके बारे में यह अक़ीदा रखते थे कि ये ज़ाती तौर पर हाजतें पूरी

करते हैं। जबकि अहले सुन्नत अंबिया व औलिया को कभी ज़ाती मददगार नहीं मानते बल्कि ये अक़ीदा रखते हैं कि वो अल्लाह की अ़ता और इज़्न से मदद करते हैं।

लिहाज़ा मुशरिकीन का अमल और अहले सुन्नत का अमल एक जैसा नहीं है।

ज़ाती और अ़ताई में यही फ़र्क़ है कि ज़ाती क़ुदरत सिर्फ़ अल्लाह ही को है जबकि अ़ताई क़ुदरत अल्लाह के महबूब बन्दों को दी जाती है। इस लिए अंबिया व औलिया से मदद माँगना, उनके वसीले से दुआ करना और उनसे इस्तिमदाद लेना तौहीद के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि ईमान की अलामत है।

बलाग़त का क़ायदा :

हमारे दीन में यह उसूल है कि किसी काम की निस्बत कभी अस्ल करने वाले की तरफ़ होती है और कभी दूसरे की तरफ़। जब काम की निस्बत अस्ल फ़ाइल (करने वाले) की तरफ़ हो तो उसे निस्बते हक़ीक़ी कहते हैं और जब किसी दूसरे की तरफ़ हो तो उसे निस्बते मजाज़ी कहते हैं। जैसे, हक़ीक़त में शिफ़ा देने वाला अल्लाह है मगर हम कहते हैं कि डॉक्टर ने मरीज़ को अच्छा कर दिया। उसी तरह हम कहते हैं दरिया बह रहा है, जबकि दरिया नहीं बल्कि पानी बहता है।

इसी तरह क़ुरआन में भी निस्बते-ए-मजाज़ी की कई मिसालें हैं, जैसे हज़रत जिबरईल عليه السلام ने हज़रत मरयम رضی اللہ تعالیٰ عنہا से कहा :

﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾

तर्जमा : मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ कि मैं तुझे एक सुथरा बेटा दूँ। (सूरह मरयम : 19)

मुसलमान यक़ीन रखता है कि औलाद देना अल्लाह तआला का फ़ेअल है और हज़रत जिबरईल علیہ السلام ने अपनी तरफ़ लड़का देने की निस्बत मजाज़न की है।

इसी तरह क़ुरआन करीम में है :

﴿تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ﴾

तर्जमा : फ़रिश्ते उनकी रूह क़ब्ज़ करेंगे। (सूरह मुहम्मद : 27)

यह निस्बत भी मजाज़ी है, क्योंकि रूह क़ब्ज़ करना और मौत देना सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला का फ़ेअल है।

इसी तरह हज़रत ईसा علیہ السلام का यह कहना:

﴿وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ﴾

तर्जमा : और मैं शिफा देता हूँ मादर-ज़ाद अँधे और सफ़ेद दाग़ वाले को, और मैं मुर्दों को ज़िन्दा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। (आले इमरान : 49)

इस क़ौल में शिफ़ा देने और मुर्दों को ज़िन्दा करने की निस्बत हज़रत ईसा علیہ السلام ने अपनी जानिब की है, जबकि हक़ीक़त में शिफ़ा देने वाला और मुर्दों को ज़िन्दा करने वाला अल्लाह तबारक व तआला ही है। यह निस्बत मजाज़ी है।

मुसलमान अल्लाह तआला के सिवा किसी दूसरे पर जब मुश्किलकुशा का लफ़्ज़ इस्तेमाल करे तो उससे निस्बते मजाज़ी ही मुराद होगी, क्योंकि मुसलमान यक़ीन रखता है कि हक़ीक़ी मुश्किलकुशा सिर्फ़ अल्लाह तआला ही है।

इसी तरह अहले सुन्नत का अकीदा है कि अस्ल मददगार और मुश्किलकुशा अल्लाह तआला है लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को इख़्तियार देता है कि वह उसकी अता से बंदों की मदद करें। इस लिए अंबिया और औलिया से मदद माँगना शिर्क नहीं बल्कि निस्बते मजाज़ी है। हाँ, अगर कोई किसी को हक़ीक़ी कारसाज़ माने तो वह कुफ़्र है, लेकिन यह समझ कर मदद माँगना कि ये हस्तियाँ अल्लाह के मुक़र्रब हैं और इनके वसीले से अल्लाह मदद फ़रमाएगा – बिल्कुल जाइज़ और क़ुरआन व हदीस से साबित है।

ख़ुलासा

- हक़ीक़ी क़ुदरत सिर्फ़ अल्लाह तआला के लिये है।
- अंबिया व औलिया की ताक़त अ़ताई और अल्लाह के हुक्म के तहत है।
- क़ुरआन व हदीस से तवस्सुल और इस्तिमदाद के दलाइल बिल्कुल वाज़ेह हैं।
- सहाबा-ए-किराम और उम्मत के सालिहीन का यही मामूल रहा है।
- मुख़ालिफ़ीन का ऐतराज़ ज़ाती व अ़ताई के फ़र्क़ को न समझने की वजह से पैदा हुआ है। जबकि हज़रत ईसा عليه السلام ने फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से ज़िन्दा करता हूं उसी से अ़ताई का सुबूत मिलता है।

इसाले सवाब व फातिहा का बयान

अल्लाह तआला ने इंसान को दुनिया में आमाले सालिहा की तौफीक़ दी और ये हक़ीक़त है कि मरने के बाद आमाल का दरवाज़ा बन्द हो जाता है। अलबत्ता शरीअत ने ज़िन्दा अफराद को ये हक़ दिया कि वोह अपनी नेकियों का सवाब अपने मरहूमीन को पहुंचाए। अवामुन्नास में इसको इसाले सवाब और फातिहा के नाम से याद किया जाता है। बदअक़ीदा लोग इसे बिदअ़त या बे-बुनियाद अमल कहते है, लेकिन दरअसल ये क़ुरआन, सुन्नत, इज्माए उम्मत और आसारे सहाबा से साबित है।

क़ुरआन से दलाइल

❖ दुआए मग़फिरत का हुक्म :

﴿وَ الَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ﴾

ज़िन्दा मोमिनों को हुक्म दिया गया कि अपने मरहूम भाईयों के लिए मग़फिरत की दुआ करें। (सुरह अल हश्र : 10) यही इसाले सवाब की असल है।

❖ हज़रत इब्राहीम عليه السلام की दुआ : (अंबिया भी अपने मरहूम वालिदेन और मोमिनीन के लिए दुआ करते थे)

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ﴾

ऐ हमारे रब! मुझे बख़्श दे और मेरे माँ-बाप को और सब मुसलमानों को, जिस दिन हिसाब क़ायम होगा। (सुरह इब्राहीम : 41)

❖ सदक़ा ए जारिया का ज़िक्र مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ (अल नहल: 96) अल्लाह के लिए किया गया अमल बाक़ी रहता है और मय्यत को फायदा देता है।

अहादीस में वारिद हुआ :

❖ सदक़ा – वालिदेन के लिए सय्यिदुना सअद बिन उबादा رضی اللہ تعالیٰ عنہ ने अर्ज़ किया : मेरी माँ फोत हो गई, अगर मैं उनकी तरफ से सदक़ा करूं तो क्या उन्हें फायदा होगा? रसूल अल्लाह ﷺ ने फरमाया: हाँ। (बुखारी: 2756, मुस्लिम 1004)

❖ हज इसाले सवाब – इब्ने अब्बास رضی اللہ تعالیٰ عنہ से रिवायत है कि: एक औरत ने कहा: मेरी माँ पर हज फर्ज़ था मगर वो फोत हो गई। क्या मैं उनकी तरफ से हज करूं? फरमाया: हाँ, अल्लाह का कर्ज़ अदा करो। (बुखारी: 6699)

❖ रोज़ों का इसाल – अल्लाह के रसूल ﷺ ने फरमाया: जो शख़्स फोत हो गया और इस पर रोज़े बाक़ी थे तो उसका वली उसकी तरफ से रोज़ा रखे। (बुखारी: 1952, मुस्लिम: 1147)

❖ नमाज़ व क़ुरआन का सवाब – इमाम दारे क़ुतनी ने रिवायत किया: जो शख़्स क़ब्रिस्तान में अपने वालिदेन या किसी मुसलमान की क़ब्र पर जाए और क़ुरआन पढ़े, फिर कहे: ऐ अल्लाह! इसका सवाब फलां को पहुंचा दे, तो अल्लाह तआला इसको ज़रूर पहुंचाता है। (दारे क़ुतनी)

❖ जनाज़ा – नमाज़े जनाज़ा दरअसल मय्यत के लिए दुआ व शफाअत है। (मुस्लिम: 948) ये भी इसाले सवाब की बड़ी दलील है।

ज़िक्र की गई तमाम आयते करीमा और अहादीस-ए-मुबारका से साबित होता है कि अपने अच्छे आमाल का सवाब अपने मरहूमीन को पेश करने से उन्हें उसका सवाब पहुंचता है।

मुख़्तसर ताअ़रूफ - जमाअत रज़ा ए मुस्तफ़ा

1. ताअरूफ

जमाअत रज़ा ए मुस्तफ़ा, बर्रे सग़ीर हिन्द व पाक की एक नुमायाँ दीनी व तब्लीग़ी जमाअत है जो इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िले बरेलवी عليه الرحمة والرضوان की फ़िक्र व तालीमात की नुमाइंदा है। यह जमाअत अक़ाइद-ए-अहले सुन्नत व जमाअत की तरवीज, दीन-ए-मुस्तफ़वी ﷺ के तहफ़्फ़ुज़ और उम्मत-ए-मुस्लिमा की इस्लाह के लिये सरगर्म-ए-अमल है। इसका बुनियादी नस्ब-उल-ऐन इश्क़-ए-रसूल ﷺ को आम करना और बातिल फ़िरक़ों की साज़िशों का रद्द करना है।

2. तारीखी पस मंज़र

उन्नीसवीं सदी में बर्रे सग़ीर हिन्द सियासी, समाजी और मज़हबी एतबार से ज़वाल का शिकार था। अंग्रेज़ी इस्तेअमार के ज़ेरे साया मुख़्तलिफ़ गुमराह फ़िरक़े, मसलन वहाबिया, नेचरिया और क़ादियानियत ने मुसलमानों के ईमान व अक़ाइद पर हमले शुरु किए। ऐसे पुर-आशोब दौर में इमाम अहमद रज़ा ख़ान عليه الرحمه ने दीन की हिफ़ाज़त के लिये क़लम व ज़ुबान के ज़रिए अज़ीम ख़िदमात अंजाम दी।
आपके विसाल के बाद आपके अफ़्कार को आम करने और अहले सुन्नत को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत महसूस की गई, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद तंजीमात वजूद में आईं। इन्हीं में से एक नुमायाँ जमाअत "जमाअत रज़ा ए मुस्तफ़ा" है।

3. क़याम व बुनियाद

जमाअत रज़ा ए मुस्तफ़ा का क़याम, अहले सुन्नत व जमाअत के अक़ाइद व माअमूलात की बक़ा और फ़रोग़ के लिये अमल में आया। इस जमाअत की बुनियाद रखने वालों ने यह अज़्म किया कि : क़ुरआन व हदीस की रौशनी में अक़ाइद-ए-अहले सुन्नत की वज़ाहत की जाए। अवामुन्नास को आला हज़रत رحمه الله की तालीमात से रोशनास कराया जाए। गुमराह फ़िरक़ों की तहरीफ़ात का इल्मी व तहरीकी रद्द किया जाए। यह जमाअत दरअसल फ़िक्र-ए-रज़वी की अमली तरजुमान है।

4. अग़राज़ व मक़ासिद

जमाअत रज़ा ए मुस्तफ़ा के बुनियादी मक़ासिद ये हैं:

- अक़ाइद-ए-अहले सुन्नत व जमाअत की इशाअत और अवाम की दीनी रहनुमाई।
- मीलादुन्नबी ﷺ, इसाले सवाब, फ़ातिहा और दीगर सुन्नी आमाल की शरई हैसियत को उजागर करना।
- इमाम अहमद रज़ा ख़ान عليه الرحمه और दीगर अकाबिरीन-ए-अहले सुन्नत की तसानीफ़ को आम करना।
- बातिल फ़िरक़ों ख़ुसूसन वहाबिया, देवबंदिया, नेचरिया और क़ादियानियत के रद्द में इल्मी व अमली ख़िदमात अंजाम देना।
- जल्से, जलूस, सेमिनार और दीनी इज्तिमाआत के ज़रिए अवाम को बेदार करना।
- मदारिस व ख़ानक़ाहों के साथ रब्त (निस्बत) पैदा करके दीनी तालीम को फ़रोग़ देना।

5. दीनी व इल्मी ख़िदमात

- मुख़्तलिफ़ शहरों और देहात में इस्लाही इज्तिमाआत मुनअक़िद किए।
- अवामुन्नास को बुनियादी अक़ाइद व मसाइल से आगाह किया।
- आला हज़रत عليه الرحمه की कुतुब व फ़तावा को आम करने के लिये लिट्रेचर शाया किया।
- इश्क़े रसूल ﷺ के फ़रोग़ के लिये मीलाद-ए-मुस्तफ़ा ﷺ की महफ़िलें मुनअक़िद कीं।
- बातिल नज़रिया के रद्द के लिये मुनाज़रे और इल्मी मुक़ालमे किए।
- फ़लाही ख़िदमात के तहत यतीमों और मुस्तहिक़ीन की मदद की गई।

6. अहम सरगर्मियाँ

- ईद मीलादुन्नबी ﷺ के जलूस और महाफ़िल का एहतमाम।
- क़ुरआन-ख़्वानी, इसाले सवाब और फ़ातिहा-ख़्वानी की महाफ़िल।
- दीनी कॉन्फ्रेंसें और सेमिनार।
- इल्मी व तहरीकी मज़ामीन की इशाअत।
- नई नस्ल की इस्लाह के लिये तालीमी व तब्लीग़ी तर्बियत।

7. नताइज व असरात

जमाअत रज़ा ए मुस्तफ़ा की मेहनत के नतीजे में :

- अवाम में अहले सुन्नत के अक़ाइद पर इस्तिक़ामत पैदा हुई।
- इश्क़े रसूल ﷺ के जज़्बात को आम किया गया।

- बातिल फ़िरक़ों के प्रोपेगंडे का भरपूर रद्द हुआ।
- इल्मी व अमली सतह पर अहले सुन्नत की सफ़ों में इत्तेहाद पैदा हुआ।

8. ख़ुलासा / नतीजा-ए-क़लाम

जमाअत रज़ा ए मुस्तफ़ा, अहले सुन्नत व जमाअत की एक नुमाइंदा तहरीक है, जिसने अपने क़याम से लेकर अब तक दीन-ए-मुस्तफ़वी ﷺ के तहफ़्फ़ुज़ और इश्क़े रसूल ﷺ के फ़रोग़ में नुमायाँ किरदार अदा किया है। यह जमाअत दरअसल इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िले बरेलवी عليه الرحمه की फ़िक्र व तालीमात की अमली तस्वीर है, जिसका मक़सद सिर्फ़ एक है: "दीन-ए-मुस्तफ़वी ﷺ का तहफ़्फ़ुज़ और अक़ाइद-ए-अहले सुन्नत व जमाअत की बक़ा।"

आला हज़रत ﷺ के 10 निकाती प्रोग्राम

- अज़ीमुश्शान मदारिस खोले जाएं जिनमें बाक़ायदा तालीम हों।
- तलबा (छात्रों) को वज़ाइफ (आर्थिक सहायता) दी जाये ताकि वोह इन इदारों से जुड़ने में रुचि लें।
- असातिज़ा (अध्यापकों) को उनके काम के आधार पर बेहतर तनखाह दी जाए ताकि वोह पूरी लगन से काम करें।
- तलबा की रुचि की जांच कर जो जिस काम के ज़्यादा लायक़ हो, वज़ीफा देकर उसमें लगाया जाए।
- इनमें जो तलबा पूरी तरह से तैय्यार हो जाए उन्हें बेहतर तनखाह देकर देश भर में भेजा जाए ताकि वोह लेखन, तक़रीर व मुनाज़रा के ज़रिये दीन व मसलक का प्रचार करे।
- दीन की हिमायत और बद-मज़हबों के रद्द में मुफीद किताबें और रिसाले लेखकों को नज़राने देकर लिखवाये जाए।
- पुराने और नये रिसाले उम्दा और बेहतर तहरीर में छाप कर मुल्क में मुफ्त में बांटे जाए।
- शहरों-शहरों में आपके निगरान मौजूद रहे, जहां जिस क़िस्म के मुक़र्रिर मुनाज़िर या लेखक की ज़रूरत हो आपको इत्तला दे, दीन व मसलक के दुश्मनों की सरकूबी के लिये अपने मुबल्लिग़ीन, मेगज़ीन और रिसाले भेजते रहे।
- जो हम में क़ाबिल आदमी मौजूद हो और अपनी कमाई में मशगूल हों उन्हें वज़ीफा मुक़र्रर करके फारिग़ बनाए जाए और जिस काम में महारत हो उसमें लगाये जाए।
- आपके मज़हबी अखबार शाया हो और वक़्तन-फ-वक़्तन (समय-समय से) मज़हब की हिमायत में मज़मून तमाम मुल्क में फ्री या क़ीमत पर रोज़ाना या कम से कम हफ्तावारी पहुंचते रहे।

नाशिर

जमाअत रज़ा ऐ मुस्तफा

जोधपुर (राजस्थान)

RAZA GRAPHICS (Pipar) #8000139922